घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 246- मंगलवार 07- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर....बजरंग बागड़ा होंगे नए महासचिव

ट्रस्ट ने 4 सोने-चांदी की वस्तुएं दिखाईं,इनकी चोरी का दावा था...

अयोध्या,06 जुलाई 2026। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन दलित समाज से हैं। चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले...चंपत राय ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वह कष्टदायी है। इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। बैठक में ट्रस्टी के. पाराशरन ने कहा था कि त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में हैं। इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर बैठक होगी। कृष्ण मोहन ने कहा- चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। समाज में अविश्वास है। विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- आज की बैठक से संतुष्टि नहीं, ट्रस्ट की बॉडी को भंग करें : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अभी तो बस इस्तीफा स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में नृपेंद्र मिश्रा हैं, चंपत राय बंसल हैं,अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी और गोपाल राव हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ आएगा। इनके रहते इस तरह चोरी हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बैठक से कोई संतुष्टि नहीं है। वही लोग हैं, जो इसमें शामिल रहे हैं। ट्रस्ट की जो बॉडी है, उसे तत्काल भंग करें। इसमें सम्मानित शंकराचार्यों,धार्मिक नेताओं और अयोध्या के उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए,जो पीढ़ियों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं।

ट्रस्ट की 5 बड़ी बातें...

1. ट्रस्ट को दान के जरिए 3,264 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं।
2. ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई। इसमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किए गए। बाकी राशि बैंक खातों में सुरक्षित है।
3. एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। गोपाल नागरकट्टे का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटाने का फैसला।
4. नकद दान के अलावा श्रद्धालुओं ने भेंट अर्पित की। अब तक ऐसी 2,926 भेंटें प्राप्त हुई हैं। इन सभी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सभी भेंटों का भौतिक सत्यापन करती है।
5. कोई श्रद्धालु अपनी दी हुई भेंट की जानकारी लेना चाहता है तो वह ट्रस्ट के किसी अधिकारी से अयोध्या आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा...राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चोरी के लिए जिम्मेदार

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि ट्रस्ट के जितने लोग हैं,वे चोरी के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि जानबूझकर ये मामले का विषयांतर कर रहे हैं। गुनहगारों को बचाने की साजिश हो रही है। जहां तक ट्रस्ट की बात है, यह कैसे कहा जा सकता है कि ट्रस्ट के लोग चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं है? वहां का रखरखाव, दौलत, चढ़ावा, ट्रस्ट के पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी। चंपत राय गुनहगार की श्रेणी में आते हैं।

चंदा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज,हाईकोर्ट ने बताई वजह

अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले की सीबीआई (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। यह याचिका मोहित अशोक नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मंदिर परिसर में हुई दान चोरी की घटनाओं के निष्पक्ष और गहन विश्लेषण के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है,इसलिए इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

बंगाल चुनाव में निर्वाचन आयोग के विरुद्ध दर्ज हुए सौ से अधिक मामले

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026 । बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग (ईसी) के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में 110 याचिकाएं दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने आयोग के सभी फैसलों को सही ठहराया। इस अहम राज्य में अप्रैल में दो चरणों में चुनाव हुए थे,जिसमें भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म किया और पहली बार सरकार बनाई। चुनाव में तृणमूल और निर्वाचन आयोग के बीच तनातनी बनी रही। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 15 मार्च को चुनावों की घोषणा से लेकर पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक चुनाव आयोग और उसके फैसलों के खिलाफ कुल 110 मामले दर्ज किए गए। अधिकारी ने कहा कि इनमें से किसी भी मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश नहीं आया। इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कड़ी जांच, कानूनी चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा

सूचना मंत्रालय का बड़ा फैसला

समाचार और गैर-समाचार चैनल की रेटिंग जारी करने पर लगाया रोक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF
INFORMATION AND
BROADCASTING
सत्यमेव जयते

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026 । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्राडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को निर्देश दिया है कि वह टेलीविजन रेटिंग नीति,2026 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक समाचार और गैर-समाचार,दोनों श्रेणियों की टेलीविजन रेटिंग जारी करना बंद कर दे। नए निर्देश के तहत केवल समाचार चैनलों की रेटिंग पर पहले से लागू रोक का दायरा बढ़ाया गया है। इसे सभी तरह के चैनलों पर लागू कर दिया गया है।

प्राकृतिक गैस सप्लाई पर हटा इमरजेंसी कंट्रोल...केंद्र ने सामान्य व्यवस्था की बहाली का किया ऐलान

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और आवंटन पर लगाए गए इमरजेंसी कंट्रोल को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने मार्च 2026 में संभावित आपूर्ति संकट को देखते हुए विशेष प्रावधान लागू किए थे,जिनके तहत प्राकृतिक गैस के आवंटन और वितरण पर केंद्र का सीधा नियंत्रण था। इन प्रावधानों का उद्देश्य गैस की संभावित कमी की स्थिति में उर्वरक उद्योग, सीएनजी-पीएनजी,बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना था, ताकि आम उपभोक्ताओं और जरूरी सेवाओं पर संकट का असर कम से कम पड़े। सरकार के अनुसार,फिलहाल देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पहले की तुलना में काफी बेहतर है। घरेलू उत्पादन,आयात और वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित हो रही है तथा तत्काल किसी बड़े आपूर्ति संकट की आशंका नहीं है।

भारत के लिए राहत की खबर,होर्मुज स्ट्रेट से निकले उर्वरक से लदे 15 जहाज

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026 । पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने का सीधा और सकारात्मक असर अब भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। वैश्विक संकट के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उर्वरक और आवश्यक कच्चा माल लेकर निकले 15 मालवाहक जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ चुके हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी प्रगति की आधिकारिक जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने साझा की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संवेदनशील समुद्री मार्ग को पार कर भारत की ओर आ रहे इन 15 जहाजों में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर का स्टॉक मौजूद है। इनमें से आठ जहाजों के जरिए 3.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, चार जहाजों से 2.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी और तीन जहाजों के माध्यम से 1.11 लाख मीट्रिक टन सल्फर भारत लाया जा रहा है। राहत का यह सिलसिला यहीं नहीं थम रहा, बल्कि आने वाले दिनों में 5 और अतिरिक्त जहाजों के भी जल्द ही भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर पैदा हुए इस आर्थिक और सामरिक संकट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम एशिया में भड़के सैन्य संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को छिन्न-भिन्न कर दिया था। इसके दुष्परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के दाम आसमान छूने लगे थे और समुद्री रास्तों में बढ़े जोखिम के कारण शिपमेंट पहुंचने की समय-सीमा भी काफी बढ़ गई थी। इस विपरीत परिस्थिति ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार इस संभावित खतरे को लेकर पहले दिन से ही सजग थी और इससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी थीं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक,अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमतों में भारी उछाल आने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसका बोझ देश के अन्नदाताओं पर नहीं पड़ने दिया और किसानों के आर्थिक हितों की पूरी रक्षा की।

योगी कैबिनेट में हुआ फैसला....शाहजहांपुर का जलालाबाद अब कहलाएगा 'परशुरामपुरी', स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति को मंजूरी

लखनऊ,06 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदल कर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाहजहांपुर में स्थित नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं एवं ग्रंथों में इसका प्रमुखता से उल्लेख पाया गया है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की मांग पर केन्द्र से अनापत्ति प्रदान की गयी है। ऐसे में जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। क्रीड़ाधिकारी के नौ पद,जिला युवा कल्याण अधिकारी के तीन पद, उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जाएगा। नगर निगम गोरखपुर एवं मुरादाबाद के लिए म्यूनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बेड चिकित्सालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के अधीन कार्यरत होमगार्ड स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों का रण,उपचुनाव की तारीखें तय

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की तीन खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे के बाद ये सीटें रिक्त हो गई थीं। इन सीटों को भरने के लिए अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक,इन तीनों सीटों पर उपचुनाव 24 जुलाई 2026 को होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि तीनों सीटों का कार्यक्रम एक जैसा होने के बावजूद इन्हें अलग-अलग माना जाएगा। कानून के जानकारों और अदालत के पुराने फैसलों के मुताबिक, हर सीट के लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी।

मतदान के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने विशेष बैंगनी स्केच पेन का इस्तेमाल अनिवार्य किया है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की जा रही है।

ईरान में खामेनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसमूह 10 किलोमीटर लंबे जुलूस में लाखों लोगों की मौजूदगी

तेहरान,06 जुलाई 2026। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार को तेहरान की सड़कों से गुजर रही है। यह दृश्य ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे भावुक और विशाल जनसमूह माना जा रहा है। तेहरान के प्रमुख मार्गों, विशेष रूप से इमाम खुमैनी स्ट्रीट से लेकर आजादी स्ट्रीट तक, लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 किलोमीटर लंबे निर्धारित रूट पर चलने वाला अंतिम यात्रा का वाहन बार-बार रुकने को मजबूर हो रहा है। चारों ओर लोगों का हुजूम है, जो सड़क के किनारे, फुटओवर ब्रिज और ऊंची इमारतों की छतों से खामेनेई की एक झलक पाने के लिए घंटों से खड़े हैं।

हेलीकॉप्टर से अंतिम दर्शन की व्यवस्था : अत्यधिक भीड़ के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए स्थिति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ईरानी अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित मार्ग पर ही रहें। भीड़ की अधिकता को देखते हुए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत खामेनेई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर से ले जाया जाएगा। यह पहल इसलिए की गई है ताकि उन लाखों लोगों तक भी अंतिम दर्शन का अवसर पहुंच सके, जो सड़क के सुदूर हिस्सों में खड़े होने के कारण वाहन के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन ने इस संवेदनशील मौके पर शांति बनाए रखने का भी आग्रह किया है। तेहरान में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि सभाओं के संपन्न होने के बाद, खामेनेई का पार्थिव शरीर धार्मिक रस्मों के लिए पवित्र शहर 'कोम' ले जाया जाएगा। वहां से अंतिम पड़ाव के रूप में उनके गृह शहर 'मशहद' ले जाकर उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। यह अंतिम संस्कार यात्रा ईरान की धार्मिक और राजनीतिक निष्ठा का प्रतीक बन गई है। तेहरान के कॉलेज ब्रिज और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसैलाब का आलम यह है कि वहां तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। शोक में डूबी जनता के चेहरे पर अपने नेता को खोने का गहरा दर्द साफ देखा जा सकता है, जो उनके प्रति ईरानियों की गहरी आस्था को दर्शाता है।

खामेनेई की इस विदाई यात्रा के दौरान ईरानी नेतृत्व ने एक कड़ा संदेश भी दिया है। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने इस शोकपूर्ण अवसर पर आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके पूर्व सुप्रीम लीडर की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रतिज्ञा ली है कि ईरान के सुरक्षा संस्थान इन दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करके ही दम लेंगे।

पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026 । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई और आतंकी शाहजाद भट्टी नेटवर्क के दो मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक आतंकी मॉड्यूल और एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। स्पेशल सेल ने दिल्ली और पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई पिस्तौल और पेट्रोल बम बरामद किए हैं। बता दें कि रांची में आरएसएस दफ्तर में भी पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ था।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला...देशभर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर लगा ताला,950 से ज्यादा कोर्स भी बंद

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026। देश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देशभर के 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 950 से अधिक इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स भी बंद कर दिए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उन संस्थानों पर कार्रवाई करना है जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार 'प्रोग्रेसिव क्लोजर' का अर्थ यह है कि संबंधित संस्थानों में नए छात्रों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन जो छात्र पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, वे अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। इससे वर्तमान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जबकि संस्थानों को धीरे-धीरे बंद किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 12-12 कॉलेज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बंद किए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 8, तेलंगाना और पंजाब में 4-4 कॉलेजों को बंद किया गया है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3-3,जबकि गुजरात,कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 संस्थानों पर कार्रवाई हुई है। हरियाणा,ओडिशा, उत्तराखंड,पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भी कुछ संस्थान बंद किए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बताया कि इन संस्थानों को बंद करने के पीछे कई कारण रहे। इनमें लगातार कम एडमिशन, योग्य फैकल्टी की कमी,बुनियादी ढांचे का निर्धारित मानकों के अनुरूप न होना और संचालन संबंधी नियमों का पालन नहीं करना प्रमुख कारण हैं। परिषद का कहना है कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। कई निजी संस्थान अपनी सीटें भरने में असफल रहे हैं। इसके अलावा नई तकनीकों और उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं होने से भी कई संस्थान पीछे रह गए। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उन कॉलेजों के लिए चेतावनी है जो केवल नाममात्र की सुविधाओं के साथ संचालित हो रहे हैं।

संपादकीय

भरोसे की बहाली हो

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में केवल महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्र के त्यागपत्र पर ही नहीं निर्णय होना चाहिए। इसी के साथ ट्रस्ट को कुछ ऐसे ठोस फैसले भी लेने चाहिए, जिनसे संदेह के बादल छंटे और लोगों को भरोसा हो कि भविष्य में मंदिर के चढ़ावे की देखरेख और हिसाब-किताब समुचित तरीके से होगा। ऐसे फैसले लेना इसलिए आवश्यक है,क्योंकि चढ़ावा चोरी के प्रकरण ने हिंदू समाज की भावनाओं को बुरी तरह आहत किया है। उसकी आस्था और विश्वास को गहरी चोट पहुंची है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ट्रस्ट को कठोर से कठोर फैसले लेने में हिचकिचाहट का परिचय नहीं देना चाहिए।

यदि आवश्यक समझा जाए तो ट्रस्ट को भंग कर उसके नए सिरे से गठन की पहल भी की जानी चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को यह आभास होना चाहिए कि इतने बड़े मामले में उन्होंने अपेक्षित गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय नहीं दिया। समझना कठिन है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर बिना किसी छानबीन के उससे इन्कार क्यों किया गया? इसी तरह तत्काल प्रभाव से उच्चस्तरीय जांच की कोई ठोस पहल क्यों नहीं की गई? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनकी कार्यशैली को कठघरे में खड़ा करते हैं। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्र के त्यागपत्र पर फैसला लेने में भी एक तरह से देरी ही की गई। आखिर इन दोनों लोगों की ओर से त्यागपत्र दिए जाने के बाद यथाशीघ्र बैठक क्यों नहीं बुलाई गई?

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने आवश्यकता से अधिक अधिकार हासिल कर रखे थे और सब कुछ अपने ही हिसाब से कर रहे थे। इसी तरह ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के भी पर्याप्त कारण हैं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी समान रूप से सक्रिय नहीं थे और कुछ ने किन्हीं कारणों से स्वयं को निष्क्रिय अथवा अलग-थलग कर रखा था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि चढ़ावा चोरी के मामले की छानबीन विशेष जांच दल की ओर से की जा रही है, क्योंकि तरह-तरह के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। इन आरोपों से ट्रस्ट की छवि धूमिल हो रही है। चूंकि चढ़ावा चोरी के प्रकरण ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है,इसलिए राष्ट्रीय स्वयंवेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकार को भी यह देखना होगा कि इस मामले में वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी हो। आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भक्तों के दान की राशि का हिसाब-किताब सही तरह से हो, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की भी है कि दान राशि का उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा?

तरह-तरह के ताले

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

देखिए भाई,ईश्वर ने इंसान का जब ढांचा तैयार किया, तो उसमें दो आंखें दीं ताकि दुनिया का तमाशा 3डी में देख सको। दो कान दिए ताकि इधर की उधर सुन सको। पर मुंह? मुंह सिर्फ एक दिया। और उस पर भी सुरक्षा कारणों से इतने ताले लटका दिए कि तिजोरी का पासवर्ड भूलने वाला बैंक मैनेजर भी शर्मा जाए। पर इंसान तो इंसान है। ताला कितना भी मजबूत हो,हम मास्टर चाबी जेब में लेकर घूमते हैं। हमारे इस साढ़े तीन इंची मुखारविंद पर पांच तरह के डिजिटल और मैनुअल ताले लगे होते हैं। आइए,आज इनकी कुंडली खंगालते हैं।

पहला होता है संस्कार-लॉक,जिसे हम लोग क्या कहेंगे गियर भी कह सकते हैं। यह ताला हमारे पैदा होते ही घर के बुजुर्ग हमारी जुबान पर वेल्डिंग मशीन से जड़ देते हैं। इस ताले की चाबी होती है शर्म, संकोच और लिहाज। जब मोहल्ले के शर्मा जी आपके घर आकर दो घंटे तक अपने निकम्मे लड़के की कामयाबी के झूठे कसीदे पढ़ रहे होते हैं,तब आपका अंतरात्मा चिल्ला रहा होता है,अबे ओ सफेद झूठ की फैक्ट्री! बंद कर अपनी दुकान! लेकिन तभी आपके मुंह पर लगा यह ताला एक्टिवेट हो जाता है। आप अपनी बत्तीसी बाहर निकाल कर बस इतना कह पाते हैं,वाह शर्मा जी, चिंटू ने तो कमाल कर दिया! अंदर ही अंदर आपका खून खौलकर चाय के पानी की तरह उबल रहा होता है,पर बाहर आप गंगा-जमुनी सभ्यता के ब्रांड एंबेसडर बने बैठे होते हैं।

इसके बाद नंबर आता है दफ्तरिया-लॉक का,यानी बॉस इज ऑलवेज राइट का कफस। यह एक बेहद आधुनिक, ब्लूटूथ से चलने वाला ताला है। इसकी रेंज सिर्फ आपके ऑफिस के वाई-फाई तक होती है। जैसे ही बॉस के केबिन से आवाज आती है एनी सजेशन्स?,आपके दिमाग की बत्ती जलती है। आपको पता होता है कि बॉस का नया आईडिया किसी कबाड़खाने के प्लान जैसा है। आप जैसे ही सच बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, यह ताला खटाक से बंद हो जाता है। इस ताले का सीधा कनेक्शन आपके बैंक अकाउंट और घर की ईएमआई से होता है। आप सच उगलने की बजाय बटर उगलने लगते हैं सर! ऐसा रेवोल्यूशनरी आईडिया तो साक्षात स्टीव जॉब्स के दिमाग में भी नहीं आया होगा! यह ताला आपको अप्रेजल तो दिला देता है,पर आईने में खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ता।

फिर आता है सबसे खतरनाक वैवाहिक-लॉक,जिसे आप शांति-मंत्र क्लैंप कह सकते हैं। इस ताले का आविष्कार कब हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर इसके भुक्तभोगी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। शादी के सात फेरों के साथ ही यह ताला पति के मुंह पर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। पत्नी पूछती है,सुनो,यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? अब यहां सच बोलना मतलब बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस की तीली जलाना है। अगर साड़ी अच्छी नहीं भी लग रही, तब भी यह लॉक जुबान को ऐसे जकड़ता है कि शब्द सिर्फ तारीफ के ही निकलते हैं अरे वाह! तुम तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। इस ताले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 'हां' और 'जी' के अलावा कोई तीसरा शब्द बोलने ही नहीं देता। जो इसे तोड़ने की गुस्ताखी करता है, उसे रात का खाना खुद बनाकर खाना पड़ता है।

चौथा है रायचंद-लॉक,जो अनाधिकृत ज्ञान पर बैरियर लगाता है। हम भारतीयों के खून में चायपत्ती से ज्यादा 'राय' दौड़ती है। लेकिन कभी-कभी जब हम किसी गंभीर महफिल में बैठे होते हैं, जहां हमारा ज्ञान देना 'आउट ऑफ सिलेबस' हो सकता है, वहां हमें खुद पर यह ताला लगाना पड़ता है। जैसे,डॉक्टर किसी को बीमारी समझा रहा हो और आपके पेट में चूहे कूद रहे हों कि मैं बताऊं गिलोय का काढ़ा कैसे सब ठीक कर देता है! आप अपने होंठों को दांतों तले दबा लेते हैं। कसम से, इस ताले को लगाए रखना उतना ही मुश्किल है जितना कि गोलगप्पे के पानी को देखकर मुंह में पानी न आने देना।

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स,ऑनलाइन शिक्षा,डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और 'डिजिटल इंडिया' तथा 'विकसित भारत-2047' का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट,ऑनलाइन वित्तीय ठगी, फिशिंग,पहचान की चोरी, निवेश घोटाले,व्यक्तिगत गोपनीयता पर सेंध, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा,आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित,सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था,वही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उसे अपने हित में ढाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है।

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है,तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल,फिशिंग,नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे,अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप सीमाओं,भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है।

चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने

का दावा करते हैं,किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण,अश्लीलता,साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं,तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं,बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता।

साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस,बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है।

डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा,शिक्षा,प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है। विशेष एजेंसियां,अत्याधुनिक तकनीक,प्रशिक्षित विशेषज्ञ, रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था और कठोर दंडात्मक कानून वहां की व्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत को भी इसी दिशा में और अधिक सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। स्थानीय पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का प्रशिक्षण देना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। तकनीक जितनी उन्नत होगी, अपराधी भी उतने ही नए तरीके खोजेंगे। इसलिए विद्यालयों,महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। लोगों को संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया के छल-प्रपंचों से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सुरक्षा का पूरा दायित्व नागरिक पर डालकर सरकार, बैंक और डिजिटल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकतीं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना संस्थागत दायित्व है।

भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर केवाईसी व्यवस्था भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। यदि फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलते हैं,यदि भुगतान प्लेटफॉर्म समय पर संदिग्ध लेन-देन नहीं रोकते,यदि आंतरिक मिलीभगत से अपराधियों को सुविधा मिलती है,तो यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट, कठोर उत्तरदायित्व और सख्त दंड व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साइबर अपराध अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। इंटरनेट की दुनिया में अपराधी सीमाओं से मुक्त हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की प्रमुख शक्तियों को साइबर अपराध के विरुद्ध साझा कानूनी ढांचा, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा। जिस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग आवश्यक माना गया, उसी प्रकार साइबर अपराध के विरुद्ध भी विश्वव्यापी समन्वय समय की मांग है।

अंततः डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे,तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। डिजिटल भारत की वास्तविक शक्ति उसके ऐप्स, सर्वरों और आंकड़ों में नहीं,बल्कि उस विश्वास में निहित है,जिसके साथ करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपने मोबाइल पर एक-एक लेन-देन करते हैं। आज आवश्यकता केवल तकनीकी समाधान की नहीं, बल्कि तकनीक,नैतिकता,कानून और उत्तरदायित्व के समन्वित मॉडल की है। सरकार को कठोर कानून, त्वरित न्याय और सक्षम जांच तंत्र विकसित करना होगा, डिजिटल कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा,वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ानी होगी और नागरिकों को डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा। साइबर अपराध और भारतीय डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन ही विकसित भारत की सबसे बड़ी कसौटी है। यदि यह संतुलन स्थापित हो गया, तो डिजिटल भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है,अन्यथा तकनीकी उपलब्धियां भी अविश्वास के बोझ तले दम तोड़ देंगी।

सीमा पर अविश्वास,बाज़ार में विश्वास,कितना उचित?

सीमाएँ केवल भूगोल की नहीं, निर्णयों की भी होती हैं
आर्थिक अमृत या रणनीतिक विष? चीनी कंपनियों का पुनः प्रवेश

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र की दिशा केवल युद्धक्षेत्रों से नहीं,बल्कि नीतिगत निर्णयों से भी तय होती है। भारत सरकार द्वारा चार चीनी-लिंक्ड पावर उपकरण कंपनियों (जिनकी भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं) को बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं में दो वर्ष के लिए बोली लगाने की अनुमति ऐसा ही एक निर्णय है। इसे महज़ व्यापारिक उदारीकरण मानना भूल होगी। यह उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है,तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का अटल दायित्व। गलवान की रक्तरंजित स्मृतियाँ आज भी राष्ट्रीय चेतना में अंकित हैं, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्ण डी-एस्केलेशन अभी बाकी है और दोनों देशों के बीच विश्वास अब भी अधूरा है। फिर भी आर्थिक आवश्यकताओं ने संवाद के द्वार फिर खटखटाए हैं। प्रश्न केवल चीनी कंपनियों की वापसी का नहीं,बल्कि यह है कि क्या भारत इसे अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप नियंत्रित कर पाएगा, या आर्थिक आवश्यकता धीरे-धीरे रणनीतिक निर्भरता में बदल जाएगी।

हर बड़े राष्ट्रीय निर्णय के पीछे आर्थिक यथार्थ की कठोर परत होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत ऊर्जा संक्रमण,उच्च गति रेल,स्मार्ट सिटी,हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्णायक दौर में है। इनके लिए भारी निवेश के साथ उन्नत तकनीक,तीव्र निष्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धी लागत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर कई चीनी कंपनियाँ कम समय और लागत में विशाल परियोजनाएँ पूरी करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर,पश्चिमी कंपनियाँ अपेक्षाकृत महँगी हैं,जबकि भारतीय उद्योग अभी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। ऐसे में सस्ता और सक्षम विकल्प आकर्षित करता है। किंतु इतिहास चेतावनी देता है कि आज का आर्थिक लाभ,यदि दूरदृष्टि न हो, तो कल रणनीतिक स्वतंत्रता पर बोझ बन सकता है।

यहीं आर्थिक आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे कठिन टकराव सामने आता है। सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाएँ पूर्वाग्रह नहीं,बल्कि वैश्विक अनुभवों पर आधारित हैं। अनेक चीनी कंपनियों और उनकी सरकार के निकट संबंधों को लेकर कई देश चिंता जता चुके हैं। यदि ऐसी कंपनियों की पहुँच बिजली ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क,रेलवे,बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों तक होती है,तो डेटा संग्रह, साइबर निगरानी,संभावित बैकडोर और लॉजिस्टिक नियंत्रण के जोखिम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा,डिजिटल नेटवर्क और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी लड़े जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या औपचारिक सुरक्षा जाँच और कागजी मंजूरियाँ इन अदृश्य खतरों से देश की रक्षा कर पाएँगी, या यही ढील भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महँगी कीमत बन जाएगी।

विडंबना यह है कि जब विश्व आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर रहा है, तब भारत एक अलग द्वंद्व से गुजर रहा है। आज विश्व चीन प्लस वन रणनीति के तहत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन पर निर्भरता घटाकर भारत जैसे देशों की ओर आशा से देख रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है,किंतु इसी समय भारत चीनी कंपनियों के लिए नए आर्थिक द्वार खोल रहा है। यह हमारी दोहरी वास्तविकता को उजागर करता है। एक ओर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है,तो दूसरी ओर वैश्विक उत्पादन व्यवस्था की जटिलता,जहाँ पूर्ण आर्थिक पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्पष्ट शर्तों के बिना यह खुलापन तकनीकी निर्भरता,बाहरी नियंत्रण,आर्थिक दबाव और ऋण-जाल जैसी चुनौतियाँ बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश का स्वागत तभी उचित है,जब वह भारत को सशक्त बनाए,निर्भर नहीं।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का उत्तर न अतिवादी विरोध में है,न बिना शर्त स्वीकार्यता में। भारत को विवेकपूर्ण, नियंत्रित और राष्ट्रीय सुरक्षा-आधारित सहयोग की नीति अपनानी होगी। चीनी कंपनियों की भागीदारी केवल गैर-संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित रहे। प्रत्येक परियोजना में डेटा लोकलाइजेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,स्थानीय सामग्री और भारतीय साझेदारी सुनिश्चित हो तथा हर चरण में कठोर साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घरेलू उद्योगों को अनुसंधान,नवाचार,वित्तीय सहयोग और तकनीकी प्रोत्साहन मिले,ताकि दीर्घकाल में भारत बाहरी तकनीकी निर्भरता से मुक्त हो सके। यदि सस्ती परियोजनाओं के आकर्षण में इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी हुई,तो आज का आर्थिक लाभ कल की रणनीतिक कमजोरी बन सकता है।

इस निर्णय की कूटनीतिक गूँज भी इसके आर्थिक प्रभावों जितनी दूरगामी है। लद्दाख में सैन्य और राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं,किंतु विश्वास की पुनर्स्थापना अब भी अधूरी है। ऐसे समय में चीनी कंपनियों की वापसी का संदेश केवल बीजिंग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसे एक ओर संतुलित और नियंत्रित सहयोग की नीति माना जा सकता है, तो दूसरी ओर यह आशंका भी है कि भारत अनजाने में अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को आर्थिक अवसर दे रहा है। परिपक्व कूटनीति का अर्थ स्थायी शत्रुता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित संवाद है। किंतु यह तभी सार्थक होगा, जब उसकी नींव समानता, पारदर्शिता और पारस्परिक उत्तरदायित्व पर टिकी हो। आर्थिक संबंध किसी भी स्थिति में ऐसी निर्भरता में न बदलें, जो भविष्य में भारत की निर्णय-स्वतंत्रता को प्रभावित करे।

कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्यप्रदेश

किसी ने क्या खुब कहा है कि,,
कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का ,
कोई तो बता दे हमें प्यार का सलीक़ा।

ये अल्फ़ाज़ महज़ एक गीत का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानी फ़ितरत का एक पुराना सवाल हैं हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह सोचते हैं कि क्या मोहब्बत महज़ इत्तेफ़ाक़ है या यह कोई बाक़ायदा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। दरअसल दिल जीतना कोई जादुई अमल नहीं बल्कि यह एक ऐसा सलीका है जो खुलूस सब्र और गहराई से जन्म लेता है आइए देखते हैं कि यह सलीका किन बुनियादों पर कायम है।

अगर हम ग़ौर करें तो जिन लोगों को दूसरों के दिल जीतने में महारत हासिल होती है उनकी शख्सियत में कुछ नुमाया खूबियां मुश्तरक होती हैं खुलूस की ताक़त दिल जीतने का सबसे पहला और अहम उसूल खुलूस है बनावट और दिखावे से वक्तई तवज्जो तो मिल सकती है लेकिन दिल नहीं जीता जा सकता जब आप किसी से बात करते हैं या मदद करते हैं तो आपकी नियत में पारदर्शिता होनी चाहिए।

अच्छा सुनने वाला बनना लोगों को वे लोग बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें सुनते हैं जब आप किसी को पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो आप उसे यह एहसास दिला रहे होते हैं कि वह आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है सुनना बोलने से ज़्यादा अहम हुनर है,विनम्रता और आज़िजी अहंकार से दिल कभी नहीं जीते जाते आजिज़ इंसान हर दिल में जगह बना लेता है आपकी ज़ुबान की नरमी और रवैये की शाइस्तगी ही वह रास्ता है जो सीधा दूसरों के दिलों तक जाता है तारीफ़ का सही इस्तेमाल किसी की छोटी सी खूबी की भी सच्चे दिल से तारीफ़ करना दिल जीतने की कुंजी है लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं सम्मान का जज़्बा दिल जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के नज़रिए उनकी राय और उनकी ज़ात का सम्मान करें जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो बदले में आपको मोहब्बत और सम्मान ही मिलता है।

पर्याप्त संसाधनों के बाद भी बाढ़ (अतिवृष्टि) और सूखे(अनावृष्टि) स्थिति हर वर्ष क्यों

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

भारत भौगोलिक तौर पर बड़ा विशाल का देश है। जहां एक ओर हमारे पास विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान,मौसम पूर्वानुमान प्रणाली,उपग्रह तकनीक, विशाल प्रशासनिक तंत्र और आपदा प्रबंधन के लिए अलग मंत्रालय है, तो दूसरी ओर हर वर्ष भीषण गर्मी,सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर देते हैं। जब संसाधनों की कमी नहीं है, तब तैयारी में कमी और इतनी जानमाल का नुकसान क्यों क्यों दिखाई देता है? यह समस्या किसी एक शहर,राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। राजस्थान,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्से भीषण लू और सूखे से जूझते हैं,वहीं असम,बिहार,हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड,केरल तथा महानगरों में कुछ घंटों की बारिश भी बाढ़ का रूप ले लेती है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सड़कें,पुल और गांवों को भारी नुकसान पहुँचाया। इसी समय देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप भी देखने को मिला।

यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं,बल्कि हमारी विकास नीति,प्रशासनिक तैयारी और दीर्घकालिक योजना की परीक्षा भी है जब मौसम विभाग कई दिन पहले भारी वर्षा,लू और चक्रवात की चेतावनी जारी करता रहता है,तब स्थानीय प्रशासन समय रहते पर्याप्त तैयारी में क्यों नहीं जुट पाता है? अक्सर राहत कार्य आपदा आने के बाद शुरू होते हैं। यदि पहले से जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षित आश्रय, पेयजल, चिकित्सा दल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, तो जन-धन की हानि काफी कम की जा सकती है।

दूसरी बड़ी समस्या हमारी अनियोजित शहरीकरण की है। शहरों के तालाब, नाले और जलग्रहण क्षेत्र पाटकर भवन खड़े कर दिए गए। नदियों के प्राकृतिक मार्ग पर अतिक्रमण हुआ परिणामस्वरूप कुछ घंटों की तेज बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। दूसरी ओर वर्षा का वही पानी भूजल में नहीं समा पाता और कुछ ही महीनों बाद वही क्षेत्र जल संकट से जूझने लगता है। विडंबना यह है कि जिस पानी को बाढ़ के समय हम अभिशाप मानते हैं,उसी पानी की एक-एक बूंद के लिए गर्मियों में तरसते हैं। यदि बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध,तालाबों का पुनर्जीवन,चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य निरंतर किए जाएँ तो बाढ़ का पानी भी भविष्य का अमृत बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब वर्षा कम दिनों में अधिक तीव्रता से होती है और गर्मी की अवधि अधिक लंबी तथा अधिक प्रचंड होती जा रही है। यही कारण है कि कभी तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो कहीं कुछ ही घंटों में महीनों जितनी वर्षा हो जाती है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि चरम मौसम की घटनाएँ अब नई सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं।

इसके बावजूद हमारी अधिकांश योजनाएँ अभी भी पुराने मौसम चक्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पुरानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य पर्याप्त नहीं हैं और नदी तटों पर निर्माण आज भी जारी है।

आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत सामग्री बाँटना नहीं है। वास्तविक आपदा प्रबंधन वह है जिसमें आपदा आने से पहले जोखिम कम कर दिया जाए। विकसित देशों में पूर्व चेतावनी, सामुदायिक प्रशिक्षण,नियमित मॉक ड्रिल,आधुनिक संचार व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय प्रणाली पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में भी इन व्यवस्थाओं को गाँव-गाँव और वार्ड स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। सरकारों की जवाबदेही जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही समाज की भी। जल स्रोतों को बचाना,वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक और कचरे से नालियाँ न भरना, वर्षा जल संचयन अपनाना तथा स्थानीय जलाशयों का संरक्षण करना नागरिकों का भी कर्तव्य है। यदि समाज और शासन मिलकर कार्य करें, तभी स्थायी समाधान संभव है।

विशेषज्ञ बार-बार यह भी कहते हैं कि हर जिले का अलग जलवायु अनुकूलन योजना तैयार होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा अधिक पड़ता है वहाँ जल संरक्षण और सूखा-रोधी खेती को बढ़ावा मिले, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी प्रबंधन,तटबंधों का वैज्ञानिक रखरखाव, जल निकासी और सुरक्षित पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो।

हाल के वर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि केवल राहत कोष बढ़ाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता ऐसी विकास नीति की है जिसमें सड़क, पुल,भवन,कॉलोनियाँ और औद्योगिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। अस्पताल, विद्यालय, बिजली व्यवस्था और संचार तंत्र भी आपदा सहनशील होने चाहिए।

अंततः प्रश्न संसाधनों का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि,इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे के बाद केवल नुकसान का आकलन करते रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल होगा। लेकिन यदि हम आज से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण,वैज्ञानिक योजना, स्थानीय भागीदारी और पूर्व तैयारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लें,तो आपदाओं की विभीषिका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रकृति हमें हर वर्ष चेतावनी दे रही है। अब निर्णय हमें करना है कि हम केवल राहत बाँटने वाला राष्ट्र बनना चाहते हैं या आपदाओं से पहले तैयारी करने वाला दूरदर्शी राष्ट्र। समय की यही सबसे बड़ी पुकार है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

C M Y K

भाजपाइयों पर पुलिस क्यों मेहरबान?' : भारी बारिश में कांग्रेस की न्याय रैली, आईजी कार्यालय का घेराव

भ्रष्टाचार,जमीन घोटाला और विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर बरसी कांग्रेस,बोली...कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री-मंत्रियों का होगा विरोध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में सत्ता पक्ष से जुड़े कथित आपराधिक मामलों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने थाना चौक से आईजी कार्यालय तक 'न्याय रैली' निकाली और पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा को साक्ष्यों के साथ विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के सरगुजा दौरे का विरोध किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत,नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में निकली रैली में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कानून का समान राज लागू करने और सत्ता संरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

भिट्ठीकला घोटाले में कलेक्टर के आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं : आईजी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भिट्ठीकला जमीन घोटाले में 16 जून को कलेक्टर ने छह लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सत्ता के दबाव में समझौते की कोशिशें हो रही हैं। पाठक ने कहा कि पूरे जिले में जमीन दलाल सक्रिय हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे गलत संदेश जाएगा और कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी।

'विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में भय' : पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक से जुड़े नायब तहसीलदार मारपीट प्रकरण को उठाते हुए कहा कि गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होने और एसडीएम के प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद विधायक की गिरफ्तारी नहीं होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का माहौल है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका के कारण कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं।

महापौर की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं,आखिर पुलिस किस दबाव में?

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कलाकेन्द्र मैदान आवंटन के कथित रिश्वत प्रकरण को उठाते हुए कहा कि स्वयं महापौर द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना गंभीर सवाल है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जिलाध्यक्ष सार्वजनिक रूप से वायरल ऑडियो में बातचीत का हिस्सा होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस आखिर किस दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है? उन्होंने पूरे मामले की एसआईटी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

आईजी को सौंपे ऑडियो,वीडियो और दस्तावेजी साक्ष्य : कांग्रेस ने दावा किया कि केवल आरोप लगाने के बजाय उसने आईजी को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सौंपे हैं। ज्ञापन के साथ कथित वायरल ऑडियो,विभिन्न समाचार चैनलों के वीडियो क्लिप,अनुराग मिश्रा की कथित बातचीत के अंश तथा भिट्ठीकला जमीन मामले में कलेक्टर द्वारा अपराध दर्ज कराने संबंधी पत्र की प्रति भी सौंपी गई। इसके अलावा लखनपुर क्षेत्र में कथित जमीन धोखाधड़ी से जुड़े एक अन्य मामले के आवेदन भी आईजी को उपलब्ध कराए गए।

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई,इसलिए अब आईजी से हस्तक्षेप की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सत्ता पक्ष से जुड़े मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री,मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सरगुजा दौरे का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। कांग्रेस के अनुसार, आईजी दीपक झा ने प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा की संगोष्ठी

राष्ट्र निर्माण में उनके विचारों को बताया प्रेरणास्रोत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के महामाया एवं समलाया मंडल द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर सोमवार को संकल्प भवन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत,पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह,सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी,महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फुलेश्वरी सिंह,जिला महामंत्री विनोद हर्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। संकल्प भवन में

आयोजित संगोष्ठी को मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी,झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रविन्द्र गुप्त भारती, दीक्षा अग्रवाल,रवींद्र तिवारी,संजीव वर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता,अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहा। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया तथा उनके विचार आज भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देते हैं। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉ. मुखर्जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएं और उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में मधुसूदन शुक्ला, विकास पांडेय,मधु चौदाहा, करताराम गुप्ता, मनोज गुप्ता, रूपेश दुबे, अभिषेक सिंह देव, आकाश गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, प्रयागराज साहू, कैलाश ठाकुर, मनोज अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, निर्मल पांडेय, शशिकांत राय, मयंक जायसवाल, अंकित जायसवाल, जितेंद्र सोनी, प्रेमानंद तिग्गा, प्रिया सिंह, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता, गुंजन सिंह देव, नीलम राजवाड़े, सरस्वती यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गरीबों के मकान तोड़ना सरकारों की पुरानी प्रवृत्ति, अब कब्जाधारियों को करेंगे संगठित : अमरनाथ पांडे

नकटी गांव में पुनर्वास की मांग,सरकार पर साधा निशाना,बोले...बिना वैकल्पिक व्यवस्था गरीबों को बेघर करना अन्याय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

हाईकोर्ट अधिवक्ता अमरनाथ पांडे ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान तोड़ने की प्रवृत्ति नई नहीं है,बल्कि भाजपा और कांग्रेस–दोनों सरकारों के कार्यकाल में ऐसी कार्रवाई होती रही है। हालांकि उन्होंने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने गरीबों के आवासों की सुरक्षा के लिए अलग सोच के साथ काम किया था। अमरनाथ पांडे ने कहा कि वर्ष 1986 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने 'नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा धृति अधिकारों का प्रदान

किया जाना अधिनियम' लागू किया था। इस कानून के तहत यदि कोई भूमिहीन गरीब परिवार शहरी क्षेत्र में सीमित भूमि पर वर्षों से निवास कर रहा है,तो उसे संरक्षण देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार ऐसे लोगों को हटाने से पहले कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर सुनवाई करना,उनकी आपत्तियां सुनना, सरकार की आवश्यकता बताना तथा पहले वैकल्पिक भूमि या आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके बाद ही बेदखली की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद की सरकारों में इस व्यवस्था की भावना को नजरअंदाज किया गया। उनके अनुसार गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाने से पहले उन्हें न्यायालय जाने तक का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाना चाहता है तो उसे इसका अवसर मिलना चाहिए। नकटी गांव में हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए अमरनाथ पांडे ने कहा कि जिन गरीब परिवारों के मकान तोड़े गए हैं,उन्हें उसी गांव में पुनर्वास कर आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति शौक से स्लम या शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर नहीं रहता,बल्कि आर्थिक मजबूरी और रहने के लिए निजी जमीन नहीं होने के कारण ऐसे स्थानों पर आश्रय लेने को विवश होता है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बड़े उद्योगों और परियोजनाओं के लिए गरीबों को विस्थापित किया जा रहा है,जबकि उनके पुनर्वास को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अमरनाथ पांडे ने घोषणा की कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि पर निवास करने वाले गरीब कब्जाधारियों को संगठित करेंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई कानूनी तथा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर उजाड़ने वालों का लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक विरोध किया जाएगा।

सर्पदंश से दो मासूमों की मौत, परिवारों में पसरा मातम

दो वर्षीय बच्ची को करैत ने डसा,नौ वर्षीय बालिका भी इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में सर्पदंश की दो अलग-अलग घटनाओं में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना बलरामपुर जिले के तातापानी चौकी क्षेत्र के सारंगपुर गांव की है। दो वर्षीय जैनब खातून घर के बाहर खेल रही थी, तभी जहरीले करैत सांप ने उसे डस लिया। परिवार को इसकी जानकारी देर से हुई।

हालत बिगड़ने पर उसे पहले बलरामपुर जिला अस्पताल और फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के डिगमा गांव की है। नौ वर्षीय नियति हाजरा को सांप ने काट लिया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान 5 जुलाई को उसकी मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

फांसी लगाने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत

मानसिक बीमारी से था पीड़ित,तीन दिन तक चला इलाज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के धंधापुर गांव में फांसी लगाने वाले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। 23 वर्षीय दीपचंद उइके मानसिक बीमारी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था। 2 जुलाई को उसने घर में फांसी लगा ली। परिजन उसे पहले रेवतपुर अस्पताल और फिर अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल लेकर पहुंचे। तीन दिन तक इलाज चलने के बाद 5 जुलाई को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से उसके चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम करम्हा की है। जानकारी के अनुसार जयनाथ राम उम्र 65 वर्ष ग्राम करम्हा पड़सीलिपारा का रहने वाला था। वह सोमवार को मवेशी चराने गया था। इस बीच तेज आंधी व बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से जयनाथ चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सस्ता सोना दिलाने का झांसा,फर्जी पुलिस कार्रवाई का डर...फिर 25 लाख की ठगी

पुराने परिचय का उठाया फायदा,व्यापारी से किश्तों में ऐंठी लाखों की रकम,कभी वकील तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर करता रहा फोन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में सस्ता सोना दिलाने का लालच देकर एक सब्जी व्यापारी से करीब 25 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले बाजार से कम कीमत पर सोना उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया, फिर खुद को पुलिस कार्रवाई में फंसा बताकर और बाद में फर्जी पुलिस अधिकारियों,अधिवक्ताओं व अन्य लोगों के नाम पर फोन कर पीड़ित से लगातार पैसे वसूलता रहा। जब व्यापारी को ठगी का अहसास हुआ और उसने रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करता रहा। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बौरीपारा निवासी 52 वर्षीय शंकर प्रसाद गुप्ता,जो गुदरी बाजार में फुटकर सब्जी व्यवसाय करते हैं,ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चांदनी चौक बंगाली मैदान के पास रहने वाले विकास सोनी ने वर्षों पुराने परिचय और भरोसे का फायदा उठाकर फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच उनसे लगभग 25 लाख रुपये ले लिए।

किरायेदार से बना विश्वास,फिर उसी भरोसे से रची ठगी : शिकायत के मुताबिक विकास सोनी पहले शंकर प्रसाद गुप्ता के घर में किराए पर रह चुका

था। इसी कारण दोनों के बीच पुराना परिचय और विश्वास था। आरोपी ने इसी रिश्ते का फायदा उठाते हुए व्यापारी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर 150 ग्राम सोना दिलाने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में उसने एक लाख रुपये नकद लिए और कहा कि रांची से सोना लेकर आएगा। इसके बाद यात्रा खर्च के नाम पर भी अलग से रकम ली गई।

फर्जी पुलिस कार्रवाई का बनाया नाटक : कुछ दिन बाद आरोपी ने व्यापारी को फोन कर बताया कि रांची में पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसने खुद को लॉकअप में होने का दावा करते हुए तस्वीर भी भेजी और कहा कि यदि तत्काल पैसे नहीं भेजे गए तो वह जेल चला जाएगा और सोना भी जब्त हो जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा। कभी पुलिस से छुड़ाने, कभी सोना छुड़ाने और कभी कथित कानूनी कार्रवाई रोकने के नाम पर लाखों रुपये लेता गया।

कभी एसपी ऑफिस तो कभी वकील बनकर आते रहे फोन : मामले की जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। शिकायत के अनुसार आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर विभिन्न लोगों का परिचय देता था। कभी खुद को किसी कंपनी का प्रतिनिधि, कभी अधिवक्ता, तो कभी रांची पुलिस अथवा एसपी कार्यालय का अधिकारी बताकर पीड़ित पर पैसे भेजने का दबाव बनाया जाता था। व्यापारी को विश्वास दिलाया जाता था कि रकम जमा करने पर उसका नाम कथित पुलिस प्रकरण से हटा दिया जाएगा और सोना भी सुरक्षित मिल जाएगा।

बैंक खातों में जमा कराए 7 लाख से अधिक : पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच उसने आरोपी के बताए विभिन्न बैंक खातों में 7.03 लाख रुपये से अधिक ऑनलाइन जमा किए। इन लेन-देन की रसीदें भी पुलिस को सौंप दी गई हैं। इसके अलावा कई बार नकद राशि भी दी गई, जिससे कुल रकम लगभग 25 लाख रुपये तक पहुंच गई।

पत्नी ने भी दिलाया भरोसा : शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी की पत्नी ने भी भरोसा दिलाया था कि यदि सोना उपलब्ध नहीं हो पाया तो वह अपने जेवर बेचकर पूरी रकम वापस कर देगी। इस आश्वासन के कारण भी पीड़ित लंबे समय तक आरोपी पर विश्वास करता रहा।

उधार लेकर भी देता रहा रकम : पीड़ित का कहना है कि आरोपी की बातों में आकर उसने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी के साथ-साथ रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर भी पैसे दिए। काफी समय बीतने के बाद जब न सोना मिला और न ही रकम वापस हुई, तब उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस की शरण ली।

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज : कोतवाली पुलिस ने आरोपी विकास सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) एवं 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन, मोबाइल नंबरों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), डिजिटल साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार और मनमानी की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई, प्रभारी बीईओ प्रदीप कुमार राय हटाए गए

कलेक्टर का सख्त फैसला : जांच पूरी होने तक डीईओ कार्यालय अटैच,संयुक्त जांच समिति गठित; ललित कुमार जाटवर को सौंपी गई अंबिकापुर बीईओ की जिम्मेदारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के शिक्षा विभाग में लंबे समय से सामने आ रही भ्रष्टाचार,अनियमितता और मनमानी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर के प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रदीप कुमार राय को उनके पद से हटा दिया है। कलेक्टर सरगुजा के आदेश पर उन्हें जांच पूरी होने तक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय अंबिकापुर से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं उनके स्थान पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ललित कुमार जाटवर को आगामी आदेश तक प्रभारी बीईओ अंबिकापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर द्वारा 6 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार,प्रदीप कुमार राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, मनमानी और तानाशाही कार्यशैली से संबंधित कई

शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया है।

डीईओ और उपसंचालक करेंगे संयुक्त जांच : शिकायतों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर तथा जिला पंचायत सरगुजा की उपसंचालक ऋतु साहू की संयुक्त जांच समिति गठित की गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होगी तथा रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार,शिकायतों में कार्यालय संचालन, प्रशासनिक निर्णयों,कार्यप्रणाली तथा वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।

लखनपुर कार्यकाल की शिकायतों का भी आदेश में उल्लेख : कलेक्टर के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदीप कुमार राय के विरुद्ध इसी प्रकार की शिकायतें उनके लखनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल के दौरान भी प्राप्त हुई थीं। बार-बार शिकायतें सामने आने और वर्तमान शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें वर्तमान पद से हटाने का निर्णय लिया। प्रशासन का मानना है कि यदि जांच के दौरान संबंधित अधिकारी उसी पद पर बने रहते हैं तो निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। इसी कारण उन्हें अस्थायी रूप से डीईओ कार्यालय में अटैच किया गया है।

ललित कुमार जाटवर संभालेंगे बीईओ का प्रभार: कलेक्टर के आदेश के तहत सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ललित कुमार जाटवर को तत्काल प्रभाव से अंबिकापुर विकासखंड के प्रभारी बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे आगामी आदेश तक इस दायित्व का निर्वहन करेंगे ताकि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।

शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बनी कार्रवाई : प्रभारी बीईओ को पद से हटाने की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में दिनभर इसकी चर्चा रही। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इसे प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर शिकायतें सामने आने के बाद हुई इस कार्रवाई से यह संकेत भी माना जा रहा है कि जिला प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जवाबदेही तय करने के पक्ष में है।

आज जिलेभर में 'रोजगार एवं आवास दिवस' पात्र परिवारों को योजनाओं का मिलेगा लाभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले के सभी विकासखंडों एवं ग्राम पंचायतों में आज 07 जुलाई को 'रोजगार एवं आवास दिवस' आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित और अपूर्ण आवासों को अभियान चलाकर जल्द पूरा कराया जाएगा तथा जिन हितग्राहियों की प्रथम किस्त लंबित है, उन्हें प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा। रोजगार दिवस के दौरान विकसित भारत-जी राम जी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और कार्य की मांग करने वाले पात्र श्रमिकों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मनरेगा के अधूरे कार्यों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत श्रमिकों की ई-केवाईसी,लंबित जियो-टैगिंग, पंचायत भवनों में लगे क्यूआर कोड के उपयोग को बढ़ावा देने तथा योजनाओं से संबंधित शिकायतों का मौके पर निराकरण भी किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से अभियान को सफल बनाने की अपील की है।

CMYK

पहले खबर को नजरअंदाज किया,फिर एफआईआर लिखी...अब पुलिस पूछ रही है...आरोपी गया कहां?

दैनिक घटती-घटना ने पहले खोला राज...पुलिस छह दिन बाद जागी...तब तक सजायाफ्ता गैंगस्टर हाथ से निकल चुका था...

झारखंड पुलिस पकड़ लाई,अंबिकापुर में छूटा सजायाफ्ता गैंगस्टर...अब फरार आरोपी और संरक्षण देने वाले दोनों गायब

- सजायाफ्ता गैंगस्टर को संरक्षण,पुलिस की देरी और छह दिन बाद एफआईआर...आखिर जिम्मेदार कौन?
- छह दिन तक चुप रही पुलिस,फिर दर्ज हुई एफआईआर...लेकिन तब तक आरोपी भी फरार,मददगार भी फरार...
- जब तक पुलिस जागी,खेल खत्म हो चुका था...वासेपुर का सजायाफ्ता गैंगस्टर और उसके कथित मददगार दोनों गायब...
- खबर 1 जुलाई को, कार्रवाई 5 जुलाई को...क्या इसी देरी ने सजायाफ्ता गैंगस्टर को फरार होने का मौका दिया?
- एफआईआर तो हुई,लेकिन बहुत देर से...अब सवाल,क्या पुलिस फरार गैंगस्टर और उसके नेटवर्क तक पहुंच पाएगी?
- खबर को नजरअंदाज करने की कीमत? सजायाफ्ता गैंगस्टर भी फरार,उसे भगाने के आरोपित भी पुलिस की पकड़ से बाहर...
- पुलिस के हाथ से निकला सजायाफ्ता गैंगस्टर,छह दिन बाद एफआईआर...अब पूरा नेटवर्क तलाशने की चुनौती...

दैनिक घटती-घटना विशेष पड़ताल

अंबिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

29 जून 2026 को हुई एक घटना ने अब केवल एक फरार अपराधी या एक एफआईआर तक खुद को सीमित नहीं रखा है, यह मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली, सूचना तंत्र,अंतरराज्यीय समन्वय,मीडिया की भूमिका और कानून-व्यवस्था की जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बन चुका है, जिस मामले की पहली जानकारी दैनिक घटती-घटना को मिली,उसी समाचार को 1 जुलाई 2026 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया,इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई अपराध दर्ज नहीं किया, झारखंड पुलिस लगातार अपने स्तर पर आरोपी की तलाश और समन्वय का प्रयास करती रही,लेकिन अंबिकापुर पुलिस की ओर से तत्काल कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई,फिर 5 जुलाई 2026 को दैनिक घटती-घटना ने दूसरी बार पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया,तब तक कई अन्य मीडिया संस्थान भी इस समाचार को प्रकाशित कर चुके थे,इसके बाद थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 454/2026 दर्ज हुआ,जिसमें स्वयं पुलिस ने यह उल्लेख किया कि समाचार के सत्यापन के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया,यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है–यदि 1 जुलाई को प्रकाशित समाचार पर ही पुलिस कार्रवाई कर देती,तो क्या आजीवन कारावास प्राप्त फरार आरोपी साबिर आलम आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं होता?

अपराध दर्ज हुआ,लेकिन आरोपी भी फरार...

और आरोपी को भगाने के आरोपित भी फरार,अब क्या सिर्फ एफआईआर ही अंतिम कार्रवाई बनकर रह जाएगी?-वासेपुर के आजीवन कारावास प्राप्त फरार गैंगस्टर साबिर आलम को कथित रूप से संरक्षण देने और पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार कराने के आरोप में अब अपराध तो दर्ज हो चुका है,लेकिन विडंबना यह है कि जिस सजायाफ्ता अपराधी की तलाश में पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी,वह अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है,इतना ही नहीं,जिस बैतूल खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, उसके भी फरार होने की चर्चा है और जिन अन्य लोगों की भूमिका की जांच की बात कही जा रही है,वे भी पुलिस की पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं,यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने गंभीर मामले में केवल अपराध दर्ज कर देना ही पर्याप्त माना जाएगा,या फिर पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन पर एक सजायाफ्ता अपराधी को संरक्षण देने और पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप लगे हैं? आखिर यह कोई साधारण मामला नहीं है, यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं,तो यह केवल एक फरार आरोपी का मामला नहीं,बल्कि न्यायालय से आजीवन कारावास प्राप्त अपराधी को कानून के शिकंजे से बाहर निकालने का मामला है, जनता के बीच अब यह चर्चा तेज है कि जिस पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में ही छह दिन लग गए,क्या वही पुलिस अब फरार गैंगस्टर,उसे कथित रूप से भगाने वाले लोगों और पूरे नेटवर्क तक पहुंच पाएगी? या फिर समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर पड़ेंगे, आरोपी और सहयोगी दूर निकल जाएंगे और अंततः यह मामला भी केवल कागजों में दर्ज एक अपराध बनकर रह जाएगा? अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विवेचना पूरी करना नहीं,बल्कि यह साबित करना है कि कानून का हाथ वास्तव में उन लोगों तक भी पहुंचता है जो एक सजायाफ्ता अपराधी को संरक्षण देने या उसे फरार कराने के आरोपों के घेरे में हैं,यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह धारणा और मजबूत होगी कि कार्रवाई केवल एफआईआर तक सीमित रही,जबकि मुख्य आरोपी और उसके कथित सहयोगी कानून की पहुंच से बाहर निकल गए।

एफआईआर ने खुद स्वीकार किया,समाचार के बाद हुई कार्रवाई...

थाना अंबिकापुर में दर्ज एफआईआर के अनुसार पुलिस ने मोमिनपुरा निवासी बैतूल खान एवं अन्य अज्ञात सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के तहत अपराध दर्ज किया है। एफआईआर में दर्ज कथन के अनुसार समाचार का सत्यापन करने पर यह तथ्य सामने आया कि झारखंड के धनबाद निवासी साबिर आलम, जिसे वर्ष 2001 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध बताते हुए आजीवन कारावास की सजा मिली तथा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था,वर्ष 2013 से अंबिकापुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में पहचान छिपाकर रह रहा था,एफआईआर में यह भी आरोप है कि उसे आश्रय देने में बैतूल खान की भूमिका सामने आई, यानी जिस तथ्य को दैनिक घटती-घटना लगातार प्रकाशित कर रहा था,वही बाद में एफआईआर का आधार भी बना।

एफआईआर में नाम आया...अब जांच की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीर

एफआईआर में बैतूल खान सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है,अब पुलिस के सामने केवल एक आरोपी को पकड़ने का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच का दायित्व है,पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ और विवेचना में जिन लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है,उनमें जावेद आलम (बाबू),खुशवास आलम,इरशाद आलम, आसिफ आलम (असद),कमरान साबरी, जीशान आलम,मोहम्मद सैदुल,समीर आलम,आमिर आलम,नौशाद आलम, दिलशाद आलम (शाद),समीउर रहमान, वसीउर रहमान तथा सोनू आलम सहित अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच किए जाने की बात सूत्रों द्वारा कही जा रही है,इन सभी की भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

पुलिस की चुप्पी ने क्या आरोपी को भागने का मौका दिया?-29 जून को घटना हुई, 1 जुलाई को दैनिक घटती-घटना ने खबर प्रकाशित कर दी,उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं,झारखंड पुलिस आती रही, सूचनाएं मिलती रहीं,मीडिया लगातार लिखता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस मौन रही,फिर 5 जुलाई को एक अन्य प्रतिष्ठित अखबार में समाचार प्रकाशित होने के बाद अचानक पुलिस सक्रिय हुई और उसी दिन अपराध दर्ज हो गया,अब सवाल उठना स्वाभाविक है क्या 1 जुलाई से 5 जुलाई तक पुलिस इंतजार कर रही थी? क्या पहले प्रकाशित समाचार पर्याप्त नहीं था? क्या झारखंड पुलिस के आवेदन पर्याप्त नहीं थे? यदि नहीं, तो आखिर 5 जुलाई को ऐसा क्या बदल गया कि उसी विषय पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई?

खरसिया नाका का घटनाक्रम और पुलिस की पकड़ से आरोपी के निकलने का दावा

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब झारखंड पुलिस को सूचना मिली कि धनबाद के चर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड का सजायाफ्ता और फरार आरोपी साबिर आलम अंबिकापुर में छिपा हुआ है,सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया था। दावा किया जाता है कि आरोपी को पुलिस वाहन तक भी पहुंचा दिया गया था,इसी दौरान घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया,स्थानीय स्तर पर यह आरोप सामने आया कि बस संचालक बैतूल खान और उसके सहयोगियों ने पुलिस वाहन को घेर लिया, विवाद और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी तथा इसी दौरान आरोपी पुलिस की पकड़ से निकल गया,इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी जांच का विषय है, लेकिन झारखंड पुलिस के अधिकारी ने यह पुष्टि अवश्य की कि कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया और इसकी जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी।

यदि पहली खबर पर कार्रवाई होती तो क्या फरार होता आरोपी?

यही वह प्रश्न है जो पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है, यदि 1 जुलाई को प्रकाशित समाचार पर तत्काल कार्रवाई होती...यदि झारखंड पुलिस के आवेदन पर गंभीरता दिखाई जाती...यदि स्थानीय पुलिस समय रहते आरोपी की तलाश करती...तो क्या साबिर आलम पुलिस की गिरफ्त से निकल पाता? यह केवल पत्रकारिता का प्रश्न नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था का भी प्रश्न है।

एफआईआर में एक नाम,लेकिन चर्चा में कई अन्य लोग

एफआईआर में बैतूल खान एवं अन्य अज्ञात सहयोगियों का उल्लेख किया गया है,दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर कई अन्य व्यक्तियों के नाम भी चर्चा में हैं,जिनके बारे में विभिन्न सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनसे पूछताछ हुई है या उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई औपचारिक आरोप सार्वजनिक नहीं किया है, यही कारण है कि लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर 'अन्य अज्ञात' कौन हैं? क्या जांच आगे बढ़ेगी? या मामला केवल एक नाम तक सीमित रह जाएगा?

क्या 13 वर्षों तक पहचान छिपाकर रहना संभव था?

एफआईआर के अनुसार साबिर आलम वर्ष 2013 से अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था, यदि यह तथ्य जांच में सही साबित होता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की फरारी का मामला नहीं रह जाता,फिर सवाल उठता है क्या स्थानीय सत्यापन प्रणाली विफल रही? क्या किरायेदार सत्यापन नहीं हुआ? क्या स्थानीय खुफिया तंत्र को कोई जानकारी नहीं मिली? क्या पुलिस की नियमित निगरानी व्यवस्था निष्क्रिय थी? या फिर किसी स्तर पर उसे संरक्षण मिलता रहा?

जनता पूछ रही है-जवाब कौन देगा?

शहर में अब चर्चा किसी एक आरोपी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की हो रही है,लोग पूछ रहे हैं क्या कोई भी बाहरी व्यक्ति वर्षों तक शहर में रह सकता है? क्या सूचना तंत्र केवल गरीब मजदूरों और किरायेदारों तक सीमित है? क्या प्रभावशाली लोगों की कभी जांच नहीं होती? क्या पुलिस केवल खबर प्रकाशित होने के बाद ही कार्रवाई करती है? क्या पहली खबर कम महत्वपूर्ण थी?

अब जांच केवल आरोपी की नहीं, पूरी व्यवस्था की होनी चाहिए जांच को यह भी देखना होगा...

- आरोपी अंबिकापुर कैसे पहुंचा?
- उसे रहने की सुविधा किसने दी?
- स्थानीय स्तर पर उसके संपर्क कौन-कौन थे?
- क्या किसी ने जानबूझकर उसे संरक्षण दिया?
- क्या पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाई गई?
- क्या पुलिस की देरी से आरोपी को भागने का अवसर मिला?

सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है...

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस समाचार को पहले दैनिक घटती-घटना ने प्रकाशित किया,उसी विषय पर बाद में पुलिस ने अपराध दर्ज किया, इससे यह बहस तेज हो गई है कि यदि शुरुआती सूचना पर ही पुलिस सक्रिय हो जाती,तो क्या आज यह मामला फरार आरोपी,पुलिस की चूक और एफआईआर दर्ज होने में छह दिन की देरी तक पहुंचता? अब यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं,बल्कि पुलिस की जवाबदेही, अंतरराज्यीय समन्वय और कानून-व्यवस्था पर जनता के भरोसे की भी परीक्षा बन चुका है,आने वाले दिनों में जांच की दिशा ही तय करेगी कि यह मामला केवल एक एफआईआर तक सीमित रहता है या फिर उन सभी सवालों के जवाब भी सामने आते हैं,जो पिछले कई दिनों से पूरे सरगुजा संभाग में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

टोनही बताकर 65 वर्षीय महिला से मारपीट,घर में घुसकर तोड़फोड़

सामाजिक बैठक में भी पीटा,शाम को दोबारा घर पहुंचकर दी जान से मारने की धमकी,तीन आरोपियों पर केस दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के नाम पर एक वृद्ध महिला को प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के तीन लोगों ने महिला को टोनही बताकर पहले सामाजिक बैठक में मारपीट की और बाद में उसके घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ते हुए हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम गुजरवारपारा खाराडांडपारा निवासी 65 वर्षीय धनेश्वरी नागेश ने शिकायत में बताया कि गांव के अनु नागेश, विक्रम नागेश और मंगल नागेश उस पर लंबे समय से जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपियों का कहना था कि महिला ने मनु नागेश पर टोना-टोटका किया है। एक जुलाई की शाम लगभग चार बजे गांव में सामाजिक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान भी आरोपियों ने महिला को टोनही बताते हुए गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ, लेकिन शाम को आरोपी दोबारा उसके घर पहुंचे।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै बजरंग माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री रमधन गाँव/शहर असकला , थाना व तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम कुमारी अनुराधा नागेश (पुराना नाम) से बदल अनुराधा नागेश (नया नाम) रख लिया है।

पालक
बजरंग
असकला,थाना व तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

Name Modification notice

FORM-I

I (Father/Mother/Guardian name) HEERAMANI RAJWADE S/O, W/o TARACHAND RAJWADE Father/Mother/Guardian of ARADHANA RAJWADE. (Son/Daughter Name), Village/ City MENDRA KHURD Tahsil. AMBIKAPUR, District SURGUJA, Chhattisgarh, have changed my minor Son/Daughter name from ARADHNA RAJWADE (old name) to ARADHANA RAJWADE (new name)

(parents/ Guardian)
HEERAMANI RAJWADE
MENDRA KHURD
AMBIKAPUR,SURGUJA

Name Modification notice

FORM-I

I (Old Name, which is to be changed) AMRUTHA YADAY S/W/D/O RAMBHARAOS Village/City KESHOPUR Tahsil-AMBIKAPUR District SUGUJA Chhattisgarh have changed my name from AMRUTHA YADAV (Old name) to AMRITA YADAV

APLICANT
AMRITA YADAV
KESHOPUR
AMBIKAPUR,SURGUJA

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगॉव तहसील भटगांव

/ईश्तहार //

रा0प्र0क्र0 269 ब - 121/25-26

आम जनता ग्राम कटिन्दा को सूचित किया जाता है कि आवेदिका फुलमति आ0 मानसाय जाति कवंर निवासी ग्राम पटियाडाड तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने बहन फूलझर का मृत्यु दिनांक 22/02/2024 को मृत्यु ग्राम कटीन्दा होने पर आवेदक द्वारा अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 10/07/2026 को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जाये एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 15/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला-सूरजपुर

सील

एक साल में मिला सिर्फ रपटा...अब पहली बरसात बताएगी निर्माण की असली कहानी

पुल टूटा,साल बीता...अब रपटा के भरोसे हजारों ग्रामीण,पहली बारिश में होगी गुणवत्ता की अग्निपरीक्षा

एक साल बाद भी स्थायी पुल नहीं...अब अस्थायी रपटा पर टिकी हजारों लोगों की जिंदगी

- **'घटती-घटना' के अभियान के बाद बना रपटा,फिर बनी सड़क...अब बरसात में होगी विभाग के दावों की परीक्षा...**
- **20 साल में पुल टूटा, एक साल में रपटा बना...अब क्या पहली बरसात में ही होगा फैसला ?**
- **30 जून को टूटा था पुल... एक साल बाद भी नहीं बना नया, अब रपटा बचा तो बचेगी विभाग की साख...**
- **गोबरी नदी के तेज बहाव के बीच अब पहली बरसात में होगी वैकल्पिक व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा...**
- **30 जून 2025 को टूटा था करोड़ों की लागत वाला पुल, एक वर्ष बाद भी स्थायी निर्माण शुरू नहीं...**

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

ठीक एक वर्ष पहले,30 जून 2025 को गोबरी नदी पर बना वह पुल अचानक धराशायी हो गया था,जिसने वर्षों तक कोरिया और सूरजपुर जिले के हजारों ग्रामीणों को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से जोड़ रखा था,पुल टूटते ही हजारों लोगों का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से समाप्त हो गया,प्रशासन ने तत्काल आवागमन बंद कराया और जल्द नए पुल के निर्माण का भरोसा दिया,लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नया पुल धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है,जुलाई 2026 शुरू हो चुकी है,बरसात भी दस्तक दे चुकी है, ऐसे समय में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्थायी पुल नहीं बन पाया,तब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया रपटा क्या इस बरसात का दबाव झेल पाएगा?

एक वर्ष तक चलता रहा इंतजार...फिर वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा

30 जून 2025 को पुल टूटने के बाद प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी,लेकिन बरसात समाप्त होने के बाद भी नया पुल निर्माण अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका,उधर हजारों ग्रामीण प्रतिदिन परेशानी झेलते रहे, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई हुई,विद्यार्थियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगने लगा।

अब रपटा नहीं, विभाग की प्रतिष्ठा भी बहेगी या बचेगी?

पूरा एक साल बीत गया,स्थायी पुल नहीं बन पाया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर रपटा जरूर तैयार हो गया,अब मानसून की पहली बड़ी परीक्षा केवल रपटा की नहीं, बल्कि लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली और निर्माण गुणवत्ता की भी है,गोबरी नदी सामान्य नदी नहीं है,पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्र से आने वाला तेज बहाव और जलाशय से बढ़ता जलप्रवाह हर बरसात में अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है,ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रपटा पहली ही बरसात का दबाव झेल पाएगा,या फिर पानी के साथ विभाग के दावे भी बह जाएंगे? यदि यह वैकल्पिक रपटा सुरक्षित रहता है तो विभाग अपनी पीठ थपथपा सकता है,लेकिन यदि पहली ही बरसात में यह बह गया,तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बहेंगे,बल्कि एक साल की प्रशासनिक तैयारी,करोड़ों के वादे और निर्माण गुणवत्ता पर जनता का भरोसा भी पानी के साथ बहता नजर आएगा,जनता अब बादलों की नहीं, बहाव की प्रतीक्षा कर रही है...क्योंकि इस बार परीक्षा नदी नहीं, निर्माण की है।

दैनिक घटती-घटना ने लगातार उठाया मुद्दा

इस पूरे मामले को दैनिक घटती-घटना ने लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया,पुल टूटने से लेकर प्रशासनिक दावों,ग्रामीणों की परेशानियों, वैकल्पिक मार्ग की मांग और निर्माण कार्यों की धीमी गति तक हर पहलू को समाचार के माध्यम से सामने लाया गया,लगातार प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और गोबरी नदी पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रपटा निर्माण का निर्णय लिया गया,ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि कम से कम बरसात के दौरान आवागमन पूरी तरह बंद नहीं होगा।

रपटा बना... लेकिन सड़क नहीं...

करीब 15 लाख रुपये की लागत से रपटा तैयार कर दिया गया,लेकिन उसके दोनों ओर की एप्रोच सड़क अधूरी छोड़ दी गई,पहली ही बारिश में सड़क दलदल में बदल गई,रपटा तक पहुंचना मुश्किल हो गया,हालात ऐसे बन गए कि लोग कहने लगे रपटा बन गया,लेकिन सड़क नहीं बनी,स्थिति इतनी खराब हो गई कि ग्रामीणों ने स्वयं चंदा जुटाकर सड़क बनाने की पहल शुरू कर दी।

4 जुलाई की खबर के बाद फिर जागा विभाग

4 जुलाई 2026 के अंक में दैनिक घटती-घटना ने प्रमुखता से 15 लाख का रपटा... अब सड़क के लिए जनता से चंदा! शीर्षक से खबर प्रकाशित की,समाचार में बताया गया कि सरकारी रपटा तो बन गया,लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण पूरा रास्ता दलदल में बदल चुका है और ग्रामीण स्वयं सहयोग राशि एकत्र कर पत्थर डलवाने को मजबूर हैं, खबर प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों के भीतर संबंधित विभाग सक्रिय हुआ,मौके पर जेसीबी,डंपर और अन्य मशीनें पहुंचीं तथा रपटा तक पहुंचने वाले मार्ग पर डब्ल्यूएमएम डालने का कार्य शुरू कर दिया गया,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह कार्य समय पर नहीं होता तो बरसात में रपटा बनने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल पाता।

अब असली परीक्षा शुरू-अब जबकि एप्रोच रोड पर डब्ल्यूएमएम का कार्य भी किया जा चुका है,लोगों की नजरें आगामी बारिश पर टिकी हैं,ग्रामीणों का कहना है कि असली परीक्षा अब होगी,क्योंकि गोबरी नदी का स्वभाव सामान्य नदियों जैसा नहीं है।

गोबरी नदी का तेज बहाव बना सबसे बड़ी चुनौती-स्थानीय लोगों के अनुसार गोबरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह पहाड़ी है,पटना व कटकोना के मध्य बरिदिया में स्थित गोबरी जलाशय और आसपास की पहाड़ियों से बड़ी मात्रा में पानी बरसात के दौरान एक साथ नदी में उतरता है, जब जलाशय भर जाता है और अतिरिक्त पानी बांध के उपर से बहता जाता है, तब नदी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है,ऐसी स्थिति में नदी का प्रवाह अत्यंत तेज हो जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि इसी तेज बहाव के कारण पूर्व में बना पुल भी लंबे समय तक दबाव झेलते-झेलते अंततः क्षतिग्रस्त हुआ था, अब यही चिंता रपटा को लेकर भी व्यक्त की जा रही है।

ग्रामीण बोले—अभी से दिखने लगे हैं कटाव के संकेत- स्थानीय लोगों का कहना है कि रपटा के कुछ हिस्सों में प्रारंभिक कटाव दिखाई देने लगा है,बारिश का पानी किनारों की मिट्टी बहा रहा है,यदि समय रहते सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो लगातार बारिश में स्थिति गंभीर हो सकती है,हालांकि इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

एक वर्ष...फिर भी स्थायी पुल नहीं-सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थायी पुल निर्माण की स्पष्ट समय-सीमा क्यों तय नहीं हो सकी, यदि नया पुल समय पर स्वीकृत होकर निर्माणाधीन होता तो आज हजारों ग्रामीणों को

अस्थायी रपटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लोग पूछ रहे हैं आखिर नया पुल कब बनेगा? प्रशासन ने एक वर्ष में क्या प्रगति की? क्या केवल अस्थायी व्यवस्था ही समाधान है?

20 साल में टूटा पुल, अब गुणवत्ता पर फिर सवाल

जिस पुल के स्थान पर यह रपटा बनाया गया है, उसका निर्माण लगभग दो दशक पहले हुआ था,पुल के धराशायी होने के बाद निर्माण गुणवत्ता,रखरखाव और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल उठे थे, अब लोग चाहते हैं कि वैकल्पिक रपटा और भविष्य में बनने वाले नए पुल में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

अंग्रेजों के दौर के निर्माण की तुलना क्यों?

ग्रामीणों के बीच अक्सर यह चर्चा सुनाई देती है कि अंग्रेजों के समय बने कई पुल,भवन और पुलिया आज भी उपयोग में हैं,जबकि आधुनिक समय में बने कई सरकारी निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं,हालांकि प्रत्येक निर्माण की तकनीक, डिजाइन,यातायात भार,सामग्री,रखरखाव और भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं,इसलिए ऐसी तुलना सीधे तौर पर तकनीकी निष्कर्ष नहीं मानी जा सकती,फिर भी लोगों की अपेक्षा यही है कि सार्वजनिक धन से बनने वाले निर्माण लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रहें।

'घटती-घटना' के बड़े सवाल

- नया स्थायी पुल निर्माण कब शुरू होगा?
- एक वर्ष बाद भी केवल वैकल्पिक व्यवस्था क्यों?
- क्या रपटा पहली ही बरसात की परीक्षा पास कर पाएगा?
- निर्माण गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है?
- यदि रपटा को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
- क्या विभाग ने मानसून के दौरान नियमित निरीक्षण की योजना बनाई है?

दैनिक घटती-घटना की खबर के बाद विभाग जागा, रपटा के अप्रोच रोड पर शुरू हुआ डब्ल्यूएमएम कार्य

जनहित का अभियान जारी रहेगा

गोबरी नदी का यह पुल केवल कंक्रीट की संरचना नहीं था, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार था, इसलिए इस मुद्दे पर दैनिक घटती-घटना आगे भी लगातार फॉलो-अप करता रहेगा, ताकि स्थायी पुल का निर्माण शीघ्र पूरा हो और क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित एवं स्थायी आवागमन की सुविधा मिल सके।

सीमावर्ती जिलों में अपराध पर सख्ती के निर्देश : डीजीपी अरुण देव गौतम ने सूरजपुर में की कानून-व्यवस्था की समीक्षा...

उत्तर प्रदेश सीमा पर निगरानी,वैज्ञानिक विवेचना और जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग पर दिया जोर

-संवाददाता-

सूरजपुर,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम रविवार को कोरिया जिले के दौरे के बाद सूरजपुर पहुंचे,यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कानून-व्यवस्था,अपराध नियंत्रण,सीमावर्ती सुरक्षा तथा पुलिसिंग व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की, बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अपराधों की विवेचना पूरी पारदर्शिता,वैज्ञानिक तरीके और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर करने के निर्देश दिए,ताकि न्यायालय में आरोपियों को प्रभावी रूप से सजा दिलाई जा सके। बैठक में डीजीपी ने जिले में घटित गंभीर अपराधों की समीक्षा करते हुए

उनकी जांच की वर्तमान प्रगति की जानकारी ली, उन्होंने कहा कि प्रत्येक विवेचना तथ्यों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए तथा जांच की गुणवत्ता ऐसी हो कि न्यायालय में अपराधियों के विरुद्ध मजबूत अभियोजन प्रस्तुत किया जा सके,उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराध नियंत्रण केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है,बल्कि दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना ही पुलिस की वास्तविक सफलता है।

मध्य प्रदेश सीमा पर विशेष फोकस-समीक्षा बैठक के दौरान मध्य प्रदेश से लगे सूरजपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए, नियमित एवं प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए तथा अंतरराज्यीय समन्वय को और मजबूत बनाया जाए, उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर प्रारंभिक स्तर पर ही सतर्क निगरानी रखने से बड़ी आपराधिक घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता है, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान किया जाए तथा सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अपराधियों और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर संयुक्त रणनीति के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग पर जोर-डीजीपी अरुण देव गौतम ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास तथा संवाद जितना मजबूत होगा, अपराध नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा, उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग को और मजबूत बनाने, आम नागरिकों से नियमित संवाद स्थापित करने तथा जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और पुलिस को संवेदनशील,जवाबदेह तथा जनोन्मुखी कार्यशैली अपनानी चाहिए, स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद बढ़ाकर अपराधों की रोकथाम में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति पर चर्चा-बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने,गंभीर अपराधों की विवेचना, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था,आधुनिक पुलिसिंग और पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा प्रत्येक गंभीर अपराध की लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

दौरे के बाद अंबिकापुर के लिए हुए रवाना-समीक्षा बैठक के पश्चात पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए,पुलिस विभाग के अधिकारियों का मानना है कि डीजीपी के इस दौरे से पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी तथा अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस बल का मनोबल भी मजबूत होगा।

बैठक में रहे उपस्थित-इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रशांत सिंह ठाकुर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन,एसडीओपी अभिषेक पैकरा (सूरजपुर),राजेश जोशी (ओड़गी),अनूप एक्का (प्रतापपुर),बर्नार्ड कुजूर (प्रेमनगर), रीना,नीलम सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

C M Y K

डीजीपी की गोपनीय बैठक में क्या छिपा रह गया?

नौगई तिहरे हत्याकांड पर कई सवाल अब भी अनुत्तरित

नौगई तिहरा हत्याकांड : क्या विभागीय जवाबदेही पर हमेशा के लिए पड़ गया पर्दा?

डीजीपी की समीक्षा बैठक में विवेचना पर संतोष...लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस की प्रतिक्रिया...सूचना तंत्र और विभागीय जवाबदेही को लेकर चर्चाएं जारी...अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर...

नौगई तिहरा हत्याकांड के बाद उठे सवालों पर क्या हमेशा के लिए लग गया विराम?

सीबीआई जांच की अनुशंसा के बीच विभागीय जवाबदेही पर सन्नाटा,गोपनीय समीक्षा बैठक में क्या छूट गए महत्वपूर्ण सवाल?

विशेष सूत्रों का दावा-डीजीपी जानना चाहते थे आखिर घटना हुई कैसे,अधिकारियों ने बताया- सब कुछ सामान्य था...

अब जिले में 'नौगई कांड' का नाम लेकर दी जा रही धमकियां भी बनी चिंता का विषय

डीजीपी की समीक्षा बैठक के बाद भी पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल बरकरार, अब निगाहें सीबीआई जांच पर...

नौगई कांडः आरोपी कटघरे में,लेकिन पुलिस व्यवस्था पर उठे सवालों का जवाब कौन देगा?

डीजीपी की समीक्षा,सीबीआई जांच की राह... लेकिन पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल अब भी कायम

सीबीआई करेगी हत्या की जांच,पर पुलिस व्यवस्था की समीक्षा कौन करेगा?

कोरिया के शांत माहौल को झकझोरने वाला नौगई कांड,अब पुलिस व्यवस्था भी सवालों के घेरे में

डीजीपी पहुंचे, समीक्षा हुई...लेकिन नौगई कांड के अनुत्तरित सवाल आज भी बरकरार

रवि सिंह

बैकुंठपुर/सोनहत,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड ने केवल तीन लोगों की जान नहीं ली,बल्कि जिले की कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे,राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है,लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घटना के दौरान पुलिस व्यवस्था में यदि कोई चूक हुई थी तो उसकी समीक्षा भी होगी या पूरा मामला अब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमे तक सीमित रह जाएगा? छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के कोरिया दौरे के दौरान इस प्रकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि अब विभागीय जिम्मेदारी तय होने की संभावना लगभग समाप्त होती दिख रही है।

बता दे की छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुणदेव गौतम ने पुलिस महानिदेशक का पदभार संभालने के बाद पहली बार जिला कोरिया का दौरा किया, यह दौरा केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी विशेष रहा, क्योंकि कोरिया ही वह जिला है जहां उन्होंने अपने पुलिस सेवा जीवन की शुरुआत पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में की थी,लंबे समय बाद अपने पहले कार्यक्षेत्र में लौटे डीजीपी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कोरिया उनके लिए हमेशा विशेष रहेगा और यहां आकर उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई,रक्षित केंद्र बैकुंठपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था,अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा तथा पुलिसिंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की,उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है और संवेदनशील, जवाबदेह तथा जनहितैषी पुलिसिंग के माध्यम से इस विश्वास को और मजबूत करना होगा।

कानून-व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा- रक्षित केंद्र बैकुंठपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में डीजीपी ने जिले के अपराधों की स्थिति, लंबित मामलों, महिला सुरक्षा,साइबर अपराध, यातायात व्यवस्था,सामुदायिक पुलिसिंग तथा जनसुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की,उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के साथ-साथ जनता के साथ संवाद और विश्वास का वातावरण भी मजबूत किया जाए,डीजीपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं,बल्कि अपराध की रोकथाम और समाज में सुरक्षा का वातावरण तैयार करना भी है।

डीजीपी की गोपनीय बैठक में आखिर क्या हुई चर्चा?- विशेष सूत्रों के अनुसार पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बैकुंठपुर में अधिकारियों के साथ नौगई तिहरे हत्याकांड पर अलग से विस्तृत समीक्षा की, बैठक में पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित थाना स्तर के अधिकारी मौजूद थे,सूत्रों का कहना है कि डीजीपी का मुख्य प्रश्न यही था कि कोरिया जैसे शांत जिले में इतनी बड़ी घटना आखिर हुई कैसे और क्या इसे रोका जा सकता था? लेकिन बैठक में मौजूद अधिकारियों ने घटना को मुख्य रूप से आपसी रंजिश का परिणाम बताते हुए विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की गंभीर चूक से इनकार किया, सूत्रों का दावा है कि किसी भी अधिकारी ने यह स्वीकार नहीं किया कि पुलिस व्यवस्था में कोई कमी रह गई थी।

क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डीजीपी के सामने नहीं रखे गए?

विशेष सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान कुछ ऐसे बिंदु सामने नहीं आए जिनकी चर्चा लंबे समय से स्थानीय स्तर पर होती रही है,सूत्रों का दावा है कि घटना वाले दिन सोनहत थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में मौजूद गंभीर परिस्थितियों की निगरानी करने के बजाय दूसरे थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले के संबंध में बाहर गए हुए थे, यदि यह तथ्य सही है तो यह जांच का विषय हो सकता है कि उस दौरान थाना क्षेत्र की निगरानी किसके जिम्मे थी और क्या इससे पुलिस की प्रतिक्रिया प्रभावित हुई,हालांकि इस संबंध में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रिकॉर्ड में कोई प्रभारी,काम कोई और?

विशेष सूत्रों ने एक और महत्वपूर्ण दावा किया है, बताया जा रहा है कि विभागीय रिकॉर्ड में साइबर शाखा की जिम्मेदारी एक अधिकारी के नाम दर्ज है,जबकि वास्तविक काम किसी अन्य अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है,यदि ऐसा है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था का विषय बनता है कि क्या इसके लिए कोई विधिवत आदेश जारी हुआ था अथवा केवल कार्य सुविधा के लिए ऐसा किया गया,इस संबंध में भी पुलिस विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

सीबीआई जांच के बाद क्या विभागीय कार्रवाई की संभावना खत्म?

राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद अब पुलिस विभाग के भीतर यह माना जा रहा है कि आगे की जांच एजेंसी करेगी, लेकिन जिले में चर्चा इस बात की भी है कि यदि घटना के समय पुलिस व्यवस्था में कोई कमी रही होगी तो क्या उसकी जवाबदेही भी कभी तय होगी? कई लोगों का मानना है कि अब पूरा ध्यान केवल आपराधिक जांच पर रहेगा जबकि पुलिस व्यवस्था से जुड़े सवाल धीरे-धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं।

अब धमकियों में भी लिया जा रहा 'नौगई कांड' का नाम

नौगई तिहरे हत्याकांड का सबसे चिंताजनक सामाजिक प्रभाव अब सामने आने लगा है, हाल ही में सोनहत क्षेत्र में एक विवाद के दौरान कथित रूप से 'नौगई जैसी घटना कर देंगे' जैसी धमकी दिए जाने का मामला भी चर्चा में आया, यदि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं तो यह केवल एक आपराधिक मामले का प्रभाव नहीं बल्कि समाज में भय का स्थायी वातावरण बनने का संकेत माना जाएगा,विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी जघन्य अपराध का भय यदि अपराधियों द्वारा धमकी के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो यह कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।

लोग पूछ रहे- क्या सब कुछ केवल 'आपसी रंजिश' था?

- क्या घटना पूरी तरह रोकी नहीं जा सकती थी?
- सूचना तंत्र समय पर सक्रिय था या नहीं?
- पुलिस की प्रतिक्रिया पर्याप्त थी?
- घटना के समय पुलिस बल की उपलब्धता क्या थी?
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या नई व्यवस्था बनाई गई? इन प्रश्नों का सार्वजनिक उत्तर अभी तक सामने नहीं आया है।

हर जगह हर समय पुलिस मौजूद नहीं रह सकती,जनता का सहयोग जरूरी : डीजीपी

डीजीपी अरुणदेव गौतम ने कहा कि पुलिस हर समय हर स्थान पर मौजूद नहीं रह सकती, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बेहद आवश्यक है,उन्होंने लोगों से समय पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने,अफवाहों से बचने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की अपील की, उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष,संवेदनशील और जनोन्मुखी पुलिसिंग अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी का व्यवहार आम नागरिक के प्रति सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण होना चाहिए, डीजीपी ने महिला एवं बाल सुरक्षा,साइबर अपराधों पर प्रभावी निगरानी और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया,साथ ही सड़क सुरक्षा मितानों के कार्यों की सराहना करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की समय पर सहायता को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सड़क सुरक्षा मितानों एवं राहवीर योजना के तहत सहयोग करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया।

जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी

अपने संबोधन में डीजीपी अरुणदेव गौतम ने कहा कि पुलिस की असली ताकत हथियार या संसाधन नहीं,बल्कि जनता का विश्वास है,यदि जनता पुलिस पर भरोसा करेगी तो अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना कहीं अधिक आसान होगा,उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

डीजीपी ने क्या कहा?

अपने दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि कोरिया हमेशा शांत जिला रहा है और नौगई जैसी घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने समीक्षा बैठक में विवेचना की प्रगति पर संतोष जताया तथा कहा कि अब मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की जा चुकी है, उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष विवेचना, जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग तथा कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे, जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, एसडीओपी, डीएसपी, थाना एवं चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अब निगाहें सीबीआई के निर्णय पर...

फिलहाल पूरा मामला सीबीआई जांच की ओर बढ़ चुका है,अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जांच केवल हत्या की साजिश,आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों तक सीमित रहेगी,या फिर घटना के समय पुलिस व्यवस्था,प्रतिक्रिया,सूचना तंत्र और प्रशासनिक निर्णयों की भी वस्तुनिष्ठ समीक्षा होगी,यदि जांच इन पहलुओं तक पहुंचती है,तभी उन तमाम सवालों का जवाब मिल सकेगा जो आज भी जिले की जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

मुख्य बातें...

- डीजीपी बनने के बाद पहली बार कोरिया पहुंचे अरुणदेव गौतम।
- कोरिया को बताया अपना पहला कार्यक्षेत्र और पुराने दिनों को किया याद।
- नौगई तिहरा हत्याकांड को शांत जिले के लिए 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया।
- जांच की प्रगति पर जताया संतोष,कहा...जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की अनुशंसा पहले से की जा चुकी है।
- पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को बताया प्रभावी पुलिसिंग की सबसे बड़ी कुंजी।
- महिला सुरक्षा,साइबर अपराध,सामुदायिक पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग पर दिया विशेष जोर।

पशुपालन विभाग में बड़ा एक्शन! PAIW कार्यकर्ताओं के भुगतान कृत्रिम गर्भाधान और योजनाओं की होगी उच्चस्तरीय जांच....

संचालनालय ने गठित की तीन सदस्यीय जांच समिति,7 दिन में मांगी रिपोर्ट;मानदेय भुगतान,सत्यापन,खरीद प्रक्रिया और समाचारों में प्रकाशित आरोप भी जांच के दायरे में

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,06 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के पशुपालन विभाग में वर्षों से उठ रहे अनियमितताओं के आरोपों पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है,संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं,छत्तीसगढ़ ने विभाग को प्राप्त शिकायतों,समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यों में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है,समिति को सात दिनों के भीतर विस्तृत तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, विभागीय आदेश के अनुसार जांच केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि पिछले चार वर्षों के दौरान PAIW कार्यकर्ताओं को किए गए मानदेय भुगतान,कृत्रिम गर्भाधान कार्यों के सत्यापन, रिकॉर्ड संधारण, दवा एवं सामग्री खरीदी,वीर्य स्ट्रॉ के उपयोग और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक विस्तारित होगी।

समाचारों में प्रकाशित आरोप भी जांच के दायरे में- संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोरिया जिले के उप संचालक कार्यालय से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों तथा शिकायतों में लगाए गए आरोपों की भी बिंदुवार जांच की जाएगी, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच समिति आवश्यक होने पर अन्य तथ्यों का भी स्वतः संज्ञान ले सकेगी।

चार वर्षों के भुगतान और कार्यों की होगी पड़ताल- जांच समिति को वर्ष 2022-23,2023-24,2024-25 एवं 2025-26 के दौरान PAIW कार्यकर्ताओं को किए गए मानदेय भुगतान की वर्षवार सूची तैयार करने, प्रत्येक भुगतान के आधार का परीक्षण करने तथा प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ ही यह भी जांच होगी कि कृत्रिम गर्भाधान का सत्यापन किस पशु चिकित्सक द्वारा, किस तिथि को और किस प्रक्रिया के तहत किया गया। लंबित मानदेय, भुगतान स्वीकृति, नोटशीट और अन्य अभिलेखों का भी परीक्षण किया जाएगा।

वीर्य स्ट्रॉ, बछड़ा उत्पादन और दवा खरीदी भी जांच के घेरे में- जांच समिति को निर्देशित किया गया है कि पिछले चार वर्षों में उपलब्ध कराए गए हिमीकृत वीर्य स्ट्रॉ,उनके उपयोग,उपलब्धता के विरुद्ध उपभोग तथा विभागीय मानकों के अनुरूप बछड़ा उत्पादन की समीक्षा की जाए,इसके अलावा पिछले दो वर्षों में कोटेशन के माध्यम से खरीदी गई दवाइयों,टीकों एवं अन्य सामग्री की खरीद प्रक्रिया का भी परीक्षण किया जाएगा।

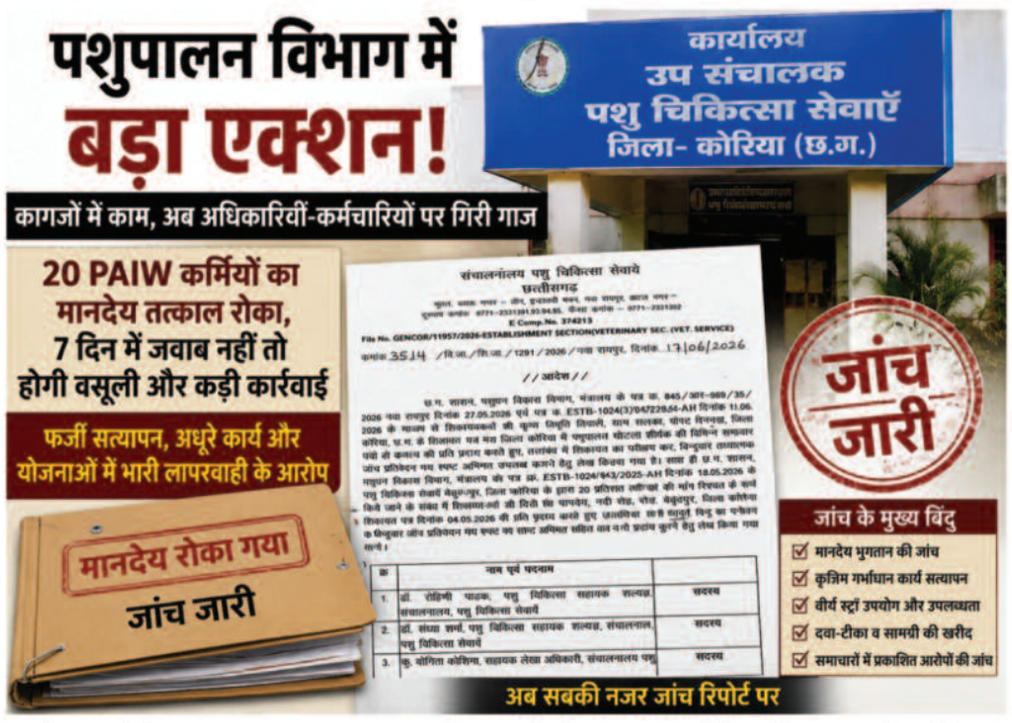

कागजों में बछड़े वाले आरोपों की भी होगी जांच...

आदेश में समाचार पत्रों में प्रकाशित उन आरोपों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें उन्नत नस्ल के बछड़ों को केवल कागजों में दर्शाकर लाखों रुपये के भुगतान में अनियमितता किए जाने की बात कही गई थी। जांच समिति को इन आरोपों की भी तथ्यात्मक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन सदस्यीय समिति करेगी जांच...

संचालनालय द्वारा गठित जांच समिति में पशु चिकित्सा सेवाओं एवं लेखा शाखा के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों एवं अभिलेखों का परीक्षण कर स्वतंत्र रूप से जांच करेगी और स्पष्ट अभिमत सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सात दिन में रिपोर्ट,फिर तय होगी कार्रवाई...

संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं ने जांच समिति को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में यदि शिकायतों की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

अब सबकी निगाह जांच रिपोर्ट पर...

पशुपालन विभाग में शुरू हुई इस उच्चस्तरीय जांच को जिले के हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण विभागीय जांच माना जा रहा है, अब सभी की निगाह जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है,जिससे यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों और समाचारों में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और विभाग दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है।

CMYK

खूंखार खिलजी से दमदार हमजा तक; बॉक्स ऑफिस के असली धुरंधर बने रणवीर सिंह, निभाए ये कल्ट किरदार

रणवीर सिंह ने धुरंधर में हमजा के किरदार से खुद को सुपरस्टार साबित किया है,लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। बॉलीवुड के बाजीराव रणवीर सिंह अब सुपरस्टार की गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। धुरंधर में धमाका करके रणवीर ने साबित कर दिया है कि उन्हें किरदार में ढलना बखूबी आता है। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं है, रणवीर हर किरदार पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं और उसे यादगार भी बनाते हैं।धुरंधर में हमजा अली मजारी बनने से पहले भी रणवीर ने ऐसे आइकोनिक किरदार निभाए, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिर चाहे वो किरदार कॉमेडी वाला हो या फिर विलेन का हो, रणवीर ने हर किरदार में छाप छोड़ी है।

गोलियों की रासलीला राम-लीला (2013)

साल 2013 में रणवीर सिंह की यह वो पहली फिल्म थी, जिसमें उनका किरदार हटकर रहा। इससे पहले उन्होंने बिट्टू बनकर जरूर लोगों का दिल जीता, लेकिन पीरियड फिल्मों में रणवीर का जलवा ही कुछ और रहा है। राम के किरदार में रणवीर ने प्यार और बेखौफ स्वैग का ऐसा मेल दिखाया कि उनके कई डायलॉग्स आज भी फैंस के पसंदीदा हैं।

बाजीराव मस्तानी (2015)

इस फिल्म में रणवीर ने अपने स्टाइल से हटकर महान मराठा योद्धा बनकर लोगों का दिल जीत लिया। रणवीर का प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके स्टाइल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

पद्मावत (2018)

रणवीर के करियर की ये वो फिल्म है,जिसके जरिए उन्होंने खुद को एक एक्टर के रूप में अलग तरह से स्थापित कर दिया। भले ही फिल्म को लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन रणवीर ने अपने किरदार के जरिए ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उस किरदार से बाहर निकलने में रणवीर को काफी वक्त लग गया। अलाउद्दीन खिलजी बनकर रणवीर ने सिनेमाघरों में खूब दहशत फैलाई।

सिंबा (2018)

पुलिस ऑफिसर सिंबा बनकर फिर रणवीर अपने उसी मस्तमौला वाले अंदाज में लौटे और रणवीर ने पूरे जोश के साथ एक टिपिकल कमर्शियल हीरो का किरदार निभाया। कॉमेडी से लेकर इमोशन तक, रणवीर ने अपना अंदाज इस फिल्म में दिखाया और रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में रणवीर की एंट्री सिंबा बनकर हुई।

गली बॉय (2019)

पद्मावत और सिंबा के बाद रणवीर के करियर में एक और मजेदार फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था गली बॉय। मतलब अलग किरदार, अलग पहचान और अलग भावना, इस फिल्म के जरिए रणवीर ने यही दिखाया। रणवीर का अल्हड़ अंदाज लोगों को खूब भाया और आलिया भट्ट के साथ उनकी यह फिल्म खूब हिट रही और रणवीर के मुराद किरदार को खूब पसंद भी किया गया।

83 (2021)

भले ही रणवीर की इस फिल्म को लेकर ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा प्यार ना मिला हो, लेकिन रणवीर के किरदार ने छाप जरूर छोड़ी। कपिल देव की बायोपिक 83 में रणवीर ने महान क्रिकेटर कपिल देव का ही किरदार निभाया। रणवीर ने कपिल देव के बोलने के लहजे से लेकर उनके स्टाइल को इस कदर पकड़ा कि देखने वाले भी हैरान रह गए।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023)

मस्तमौला, खुशमिजाज और अपनी शर्तों पर जीने वाला रॉकी रंधावा यही किरदार रणवीर ने निभाया फिल्म रॉकी और रानी की प्रेमकहानी में। धर्मा प्रोडक्शन्स की इस फिल्म में रणवीर ने आलिया भट्ट के साथ जोड़ी जमाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रणवीर का कैरेक्टर भी खूब पसंद किया गया।

धुरंधर और धुरंधर:द रिवेंज (2025-2026)

आखिरकार जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की फिर वो हुआ। रणवीर सिंह के करियर की ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई धुरंधर। वो फिल्म जिसे आदित्य धर ने बनाया और फिल्म का हर छोटा किरदार अपनी गहरी छाप छोड़कर गया। धुरंधर दो पार्ट्स में आई और फिल्म के दोनों पार्ट्स में रणवीर ने अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। हमजा के किरदार में रणवीर ने यह साबित किया,उनके जैसा एक्टर आज के सिनेमाई दौर में शायद नहीं है। जसकीरत और हमजा ये दोनों किरदार जीकर रणवीर बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं और सबसे बड़े एक्टर बनकर उभरे हैं। डायलॉग्स हों या फिर एक्टिंग हो,रणवीर ने हर लिहाज से खुद को साबित किया है। यही वजह है कि वह इस जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार बने हैं। आने वाले वक्त में रणवीर प्रलय समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं।

नागार्जुन की 100वीं फिल्म में खूंखार विलेन बनेंगी तब्बू!

28 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे दोनों सितारे

तब्बू और नागार्जुन 28 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं जिसे लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है।

नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म में तब्बू काम करने जा रही हैं। लगभग 28 साल बाद दोनों किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म का फिलहाल नाम किंग100 रखा गया है और यह अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा का विषय बनी हुई है।

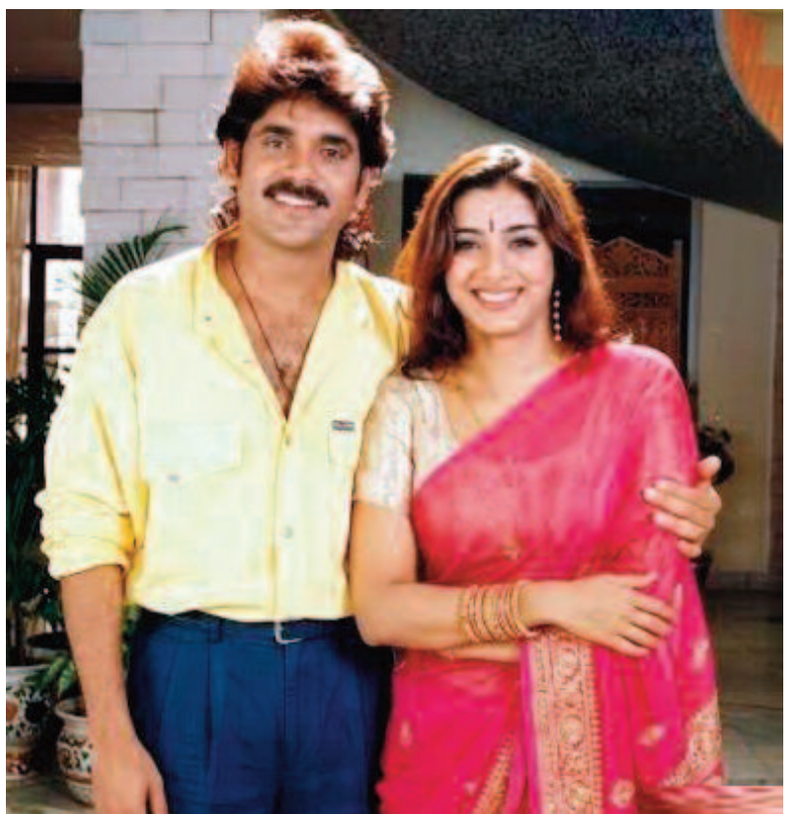

फिल्म में विलेन का रोल निभाएंगी तब्बू

यह पहले से ही तय था कि तब्बू,नागार्जुन की फिल्म में रोमांटिक रोल में नहीं होंगी। हालांकि वह किस रोल में होंगी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि वे फिल्म में विलेन का रोल निभाएंगी।

28 साल बाद साथ नजर आएंगे दोनों

रिपोर्ट के अनुसार,तब्बू किंग100 में विलेन का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म के साथ 28 साल बाद नागार्जुन और तब्बू की जोड़ी फिर से पर्दे पर साथ दिखेगी। ये जोड़ी आखिरी बार 1998 की तेलुगु फिल्म आविदा मा आविदा में साथ दिखी थी और उससे पहले 1996 की हिट फिल्म निन्ने पेल्लाडाटा में भी साथ काम किया था, इसलिए उनका यह नया कोलेबोरेशन फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा करने वाला है।

इन फिल्मों में तब्बू ने निभाए ग्रे किरदार

तब्बू ने मकबूल,हैदर,अंधाधुन और फितूर जैसी फिल्मों में कई तरह के शेड्स वाले और ग्रे किरदारों को बखूबी निभाकर तारीफें बटोरी हैं। अगर यह रिपोर्ट सही है,तो किंग100 में तब्बू के नागार्जुन के सामने एक और दमदार नेगेटिव रोल में देखने के लिए दर्शक एक्साइटेड हैं।

तब्बू और नागार्जुन के बीच था अफेयर!

1990 के दशक के आखिर से लेकर लगभग दस साल तक नागार्जुन और तब्बू के रिलेशनशिप में होने की चर्चा रही। हालांकि उनके अफेयर को लेकर काफी अटकलें लगाई गईं, लेकिन आखिरकार यह रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि नागार्जुन अपनी पत्नी अमला अक्किनेनी को तलाक नहीं देना चाहते थे।

तब्बू का वर्कफ्रंट

एक्ट्रेस को पिछली बार अक्षय कुमार,वामिका गब्बी और परेश रावल के साथ भूत बंगला में देखा गया था। हाल ही में उन्होंने एचबीओ की ड्यून- प्रोफेसी में सिस्टर फ्रांसेस्का का अहम रोल निभाकर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है।

सोहेल खान ने नीति टेलर को रुला दिया

बाद में जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया

रियलिटी शो द अलायंस में सोहेल खान द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद एक्ट्रेस नीति टेलर इमोशनल रूप से टूट गईं। उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि यह एक गेम है और एलिमिनेट होने के बाद हर हफ़्ते किसी को घर जाना होता है,लेकिन हाल ही में उनकी ज़िंदगी में हुए कई रिजेक्शन ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। नॉमिनेशन के बाद,सोहेल ने इमोशनल नीति को दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा,नीति,मुझे सच में अफ़सोस है। यह कुछ भी पर्सनल नहीं है। आंसू रोकते हुए,नीति ने जवाब दिया,मुझे पता है कि मुझे घर जाना है,लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। खासकर तुम दोनों से। आखिर में, यह एक गेम है,मुझे पता है। मैंने अपना 100 परसेंट दिया। शायद इसलिए क्योंकि हाल ही में, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिजेक्शन मिले हैं। इसलिए मुझे दुख हो रहा है। जब नीति टूट गईं,तो सोहेल ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि उनकी दोस्ती शो के बाद भी जारी रहेगी। तुम मेरी जिंदगी में एक नई दोस्त बन गई हो और मैं वादा करता हूँ कि यह रिश्ता जिंदगी भर निभाऊँगा, उसने उससे कहा।

अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई,नीति ने कहा,मैं टफ़ नहीं हूँ,मैं इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। मैं अब और नहीं सह सकती। यह इमोशनल पल नीति के सोहेल को गले लगाने के साथ खत्म हुआ, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट्स देख रहे थे। सोहेल ने साफ़ किया कि उनका फ़ैसला पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक था और उनके पर्सनल बॉन्ड की झलक नहीं थी। नीति टेलर की बात करें तो,एक्ट्रेस कैसी ये यारियां, इश्कबाज़,गुलाम और बड़े अच्छे लगते हैं 3 जैसे टेलीविज़न शोज़ में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। इस बीच, सोहेल कुछ दिन पहले द अलायंस में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स में से एक के तौर पर शामिल हुए।

फीमेल एक्टर्स को हल्के में लिया जाता है, कृति सेनन ने फिल्म इंडस्ट्री के जेंडर बायस पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। अब इस बीच कृति अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले जेंडर बायस (लैंगिक भेदभाव) पर खुलकर अपनी राय रखी है।

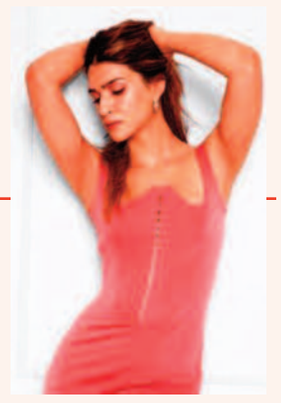

मेल और फीमेल स्टार्स के लिए अलग पैमाना

कृति सेनन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने साथ हुए जेंडर बायस के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि फीमेल एक्टर्स को अक्सर उनके मेल काउंटरपार्ट्स (पुरुष कलाकारों) से अलग तरह से जज किया जाता है। कृति ने इंडस्ट्री में काम करने के स्ट्रगल के बारे में बात की और बताया कि- असिस्टेंट डायरेक्टर्स अक्सर मेल स्टार्स से डरते हैं। इसके विपरीत, फीमेल एक्टर्स को अक्सर हल्के में लिया जाता है।

सवाल पूछने पर मिलती है अलग प्रतिक्रिया

कृति ने बताया कि अगर कोई एक्ट्रेस अपने किरदार या सीन को लेकर सवाल पूछती है तो उसे जरूरत से ज्यादा सवाल करने वाली समझ लिया जाता है, जबकि यही काम कोई मेल स्टार करे तो उसकी तारीफ होती है। एक्ट्रेस ने कहा- जब कोई फीमेल एक्टर सवाल पूछती है, तो ऐसा रिएक्शन होता है-कितने सवाल पूछती है ये, अरे इसके 50 सवाल शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बैकस्टेज इस तरह की बातचीत होती है। इसके उलट, जब कोई मेल स्टार सवाल पूछता है, तो उसे बहुत इन्वॉल्व्ड (काम के प्रति समर्पित) कहा जाता है।मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैंने वही सवाल पूछे, तो मुझसे कहा गया-इसे ओवरएनालाइज मत करो। लेकिन जब वही बात फिल्म के लीड हीरो (लड़के) की तरफ से आई, तो मेकर्स ने कहा-ठीक है, ये किया जा सकता है।

सुविधाओं में भी होता है फर्क

कृति ने आगे कहा-कई बार ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जैसे मेल एक्टर को कैसी कार या कमरा दिया गया और मुझे कैसा कमरा दिया गया। मेरा मतलब है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे छोटा कमरा या कार मिले, लेकिन इससे मुझे खुद में कोई कमी महसूस नहीं होती।

वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति हाल ही में फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है।

खेल समाचार

जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान

संजू सैमसन ड्रॉप,4 नए खिलाड़ियों की एंट्री,घातक गेंदबाज की 2 साल बाद वापसी...

नई दिल्ली,06 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल जिम्बाब्वे दौरे के लिए 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इस दौरे के लिए सीनियर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की कप्तानी और तिलक वर्मा की उपकप्तानी में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देते हुए युवाओं से सजी एक बेहद आक्रामक और संतुलित टीम का चयन किया है। हैरानी की बात यह है कि इस टीम से संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है।

संजू सैमसन को कर दिया बाहर

इस टीम चयन में सबसे हैरान करने वाला फैसला विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर रहा। हालिया समय में उतार-चढ़ाव भरे फॉर्म से गुजर रहे सैमसन को इस टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है। सैमसन को बाहर किए जाने के बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने इस खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट इतनी जल्दी कैसे नजरअंदाज कर सकता है इस बात पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

घरेलू क्रिकेट के 4 सुपरस्टार्स की पहली बार टीम इंडिया में एंट्री

चयनकर्ताओं ने इस बार आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले 4 नए अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा भरोसा जताया है। तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को पहली बार भारतीय टीम का टिकट मिला है। इनके अलावा ऑलराउंडर हर्ष दुबे और विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की भी पहली बार सीनियर टीम इंडिया में एंट्री हुई है। वहीं रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की एक बार फिर से टीम में एंट्री हुई है।

अनुभवी स्पिन और युवा जोश का शानदार मिश्रण

टीम में ईशान किशन की बतौर विकेटकीपर वापसी हुई है,वहीं प्रभसिमरन सिंह दूसरे विकेटकीपर के विकल्प होंगे। इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को स्पिन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वैभव सूर्यवंशी,अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार शेडगे और रिंकू सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाजों की मौजूदगी से भारत का बैटिंग ऑर्डर बेहद मजबूत और आक्रामक नजर आ रहा है। तेज गेंदबाजी में प्रिंस यादव और शिवम दुबे भी ऑलराउंडर की भूमिका में टीम को गहराई देंगे।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए पूरी भारतीय टी20 टीम इस प्रकार है...

श्रेयस अय्यर (कप्तान),तिलक वर्मा (उपकप्तान),वैभव सूर्यवंशी,अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे,सूर्यांश शेडगे,रिंकू सिंह,हर्ष दुबे,वरुण चक्रवर्ती,प्रिंस यादव,यश ठाकुर,अशोक शर्मा,मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

ट्रेंट ब्रिज में बिना बदलाव के उतरेगी इंग्लैंड

नॉटिंघम,06 जुलाई 2026। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में खेले जाने वाले अहम तीसरे टी 20 आई के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में मेहमान टीम पर चार विकेट से जीत के बाद, मेजबान टीम पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। खासकर डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट में पहला टी 20 आई बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने मौजूदा सीरीज में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देकर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मैनचेस्टर में अपनी पिछली मुलाकात में,श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया,जो अभी मेन्स ङ्क20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है,ने आखिरकार टीनएज बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका दिया, जिन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिससे मेहमान टीम ने 20 ओवर में 190/7 का स्कोर बनाया। सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हुए, जिसका सबको इंतज़ार था

उन्होंने दो छक्के मारे और संजू सैमसन की गेंद पर आउट हो गए। इशान किशन और अभिषेक शर्मा ने 49 और 43 रन की पारियां खेलकर भारत को ठीक 190 रन तक पहुंचाया। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया,जब युवा जैकब बेथेल ने 46 गेंदों पर पांच चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए। बेथेल को भारत के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की तीन बैक-फुट नो-बॉल से भी मदद मिली, जिन्होंने 17वें ओवर में 29 रन देकर उन्हें आउट किया। सैम कुरेन ने भी गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-33 विकेट लिए। नॉटिंघम में मैच के बाद, भारत और इंग्लैंड बाकी दो टी 20 आई मैच क्रमशः 9 और 11 जुलाई को ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में खेलेंगे। **इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन :-**फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 103 करोड़ रुपये से अधिक के स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमिपूजन किया

स्वस्थ छत्तीसगढ़ करेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,06 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 103 करोड़ रुपये से अधिक लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा मरीजों,विद्यार्थियों और चिकित्सकों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली बार मेडिकल कॉलेज आने पर विद्यार्थियों ने छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए आज उसके निर्माण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और 'मोदी की गारंटी' को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए स्वस्थ छत्तीसगढ़ आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि डीएम कार्डियक कोर्स की स्वीकृति से लेकर अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं तक केंद्र सरकार ने हर मांग पर सकारात्मक सहयोग दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में छत्तीसगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद) की भी सौगात मिलेगी,जिससे राज्य की समृद्ध औषधीय वनस्पतियों एवं आयुर्वेद को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त होकर तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर लाखों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया है। उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रदेश के हर क्षेत्र में सेवाएं देने का संकल्प लें और केवल शहरों तक सीमित रहने की मानसिकता न रखें। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, छात्रावास एवं आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लगभग 104 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास, कैंसर संस्थान विस्तार एवं अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, फिजियोथेरेपी कॉलेजों का विस्तार तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण भी प्रगति पर है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में लंबित कोरबा, कांकेर एवं महासमुंद मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए हैं। बिलासपुर स्थित सिम्स का भी व्यापक उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि डीएम कार्डियक कोर्स प्रारंभ हो चुका है तथा जगदलपुर में जल्द ही छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा हार्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम परियोजना के तहत 200 सीटर आधुनिक छात्र-छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी परियोजना के तहत कैंसर भवन का द्वितीय से छठे तल तक विस्तार किया जाएगा। लगभग 11 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में आधुनिक लैब, 64-64 बिस्तरों वाले वार्ड, सिंगल रूम, आईसीयू तथा अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर विकसित किए जाएंगे, जिससे कैंसर रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

तीसरी परियोजना के अंतर्गत छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कमरे, डॉरमेट्री, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन हॉल तथा सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि छात्राओं को सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी के चेयरमैन दीपक म्हस्के,स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा रितेश अग्रवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर सहित जनप्रतिनिधि,चिकित्सक,मेडिकल विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई के नाम होगा गनियारी स्कूल,स्कूल शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

रायपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली महान पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार 6 जुलाई को रायपुर एम्स में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे कला जगत में मातम पसर गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने एम्स पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी के बाद डॉ. तीजन बाई का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम गनियारी ले जाया गया। यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गनियारी स्थित शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूल को अब डॉ. तीजन बाई के नाम से जाना जाएगा। स्कूल का नया नाम डॉ. तीजन बाई शासकीय हाई-हायर सेकेंडरी विद्यालय, गनियारी होगा। राज्य सरकार का यह फैसला लोककला के प्रति उनके योगदान को हमेशा जीवित रखेगा। डॉ. तीजन बाई के निधन को छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक इतिहास का एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी ओजस्वी आवाज और कला साधना ने पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उनका पूरा जीवन लोक परंपराओं को बचाने में बीत गया। आज की पीढ़ी उनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी से हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। राज्य सरकार का यह कदम उनकी स्मृति को सहेजने की एक छोटी सी कोशिश है।

कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने का असफल प्रयास कर रही है : केदार कश्यप

नकटी मामले में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार,साय सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किया कार्य,किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा...

रायपुर,06 जुलाई 2026। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नकटी ग्राम प्रकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार,भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास कर रही है,जबकि इस पूरे मामले की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है,लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई को अच्छी तरह जानती है।मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर आज कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसके आबंटन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2020 से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह भूमि हाउसिंग बोर्ड को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित थी। आबंटन के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद वहां लगातार अवैध कब्जे बढ़ते गए और लगभग 3 हेक्टेयर से बढ़कर 15 हेक्टेयर तक अतिक्रमण फैल गया।उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में लगातार विधिसम्मत कार्रवाई करने का प्रयास किया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कब्जाधारियों के पुनर्वास और व्यवस्थापन के लिए कई बार सहमति बनाने का प्रयास किया गया। कार्रवाई के दौरान भी संवेदनशीलता बरती गई और प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन का प्रयास किया गया। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के इस आरोप को पूरी तरह असत्य बताया कि नकटी गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकटी गांव के 17 वार्डों में से केवल एक वार्ड में, जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, वहीं कार्रवाई की गई। पूरे गांव को उजाड़े जाने का प्रचार कांग्रेस द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि लोगों में भ्रम और आक्रोश पैदा किया जा सके। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने इस विधिसम्मत प्रशासनिक कार्रवाई को जन आंदोलन का स्वरूप देने का असफल प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित लोगों को भड़काने, धरना-प्रदर्शन कराने और सरकार को बदनाम करने की राजनीति की,लेकिन कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस आज भी इसी प्रकार की भड़काऊ राजनीति में लगी हुई है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार के समय ग्राम सेरीखेड़ी में लगभग 150 परिवारों को बलपूर्वक हटाया गया था,तब न तो किसी का पुनर्वास किया गया और न ही रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इसके विपरीत विष्णुदेव साय सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में आवास उपलब्ध कराया,मकानों की आवास की चाबी सौंपी और सम्मानपूर्वक उन्हें नए आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की। यही भाजपा और कांग्रेस सरकारों में दृष्टिकोण का सबसे बड़ा अंतर है।मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस अब उन्हीं लोगों को भड़काने का काम कर रही है जिनके लिए राज्य सरकार ने आवास की व्यवस्था की। यह पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है। सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी भी गरीब,किसान या जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को भी निराधार बताया कि उक्त भूमि पर विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस भूमि के उपयोग को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में भूमि राजस्व विभाग के अधीन है और भविष्य में उसका उपयोग हाउसिंग बोर्ड तथा सक्षम विभागों द्वारा नियमानुसार तय किया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा प्रचार पूरी तरह झूठा और भ्रामक है।मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां और एनओसी प्रदान की गई थीं तथा वर्ष 2020 से 2022 के बीच पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

मीडियाकर्मी के खिलाफ पुलिस पेश नहीं कर पाई सबूत,हाईकोर्ट ने दी राहत

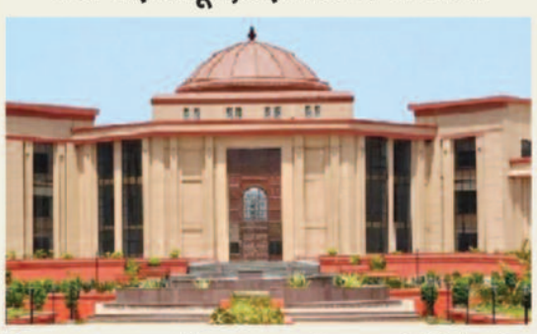

बिलासपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि,बिना किसी ठोस कारण के जांच और चार्जशीट में 6 साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताड़ित करने जैसा है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले जल्द सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस टिप्पणी के साथ ही डिवीजन बेंच ने मीडिया कर्मी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त कर दिया है। बिलासपुर के सिरगिट्टी निवासी याचिकाकर्ता कैलाश यादव निजी चैनल में वीडियो जर्नलिस्ट का काम करता है। साल 2018 में पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा था। इस दौरान 20 जून 2018 को पुलिस अफसरों ने आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों की पत्नी को महिला थाने में बैठा लिया था। उन्हें बिना वजह हिरासत में रखे जाने की खबर मिलने पर अपनी टीम के साथ पड़ताल करने के लिए देर रात महिला थाना पहुंचा था। आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से इस मामले में जानकारी मांगी,तो पुलिसकर्मियों ने सहयोग करने के बजाय उनके साथ मिसबिहेव किया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने (धारा 186, 353), मारपीट (धारा 323) और मिलीभगत (धारा 34) के तहत झूठा केस दर्ज कर दिया था। पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ कैलाश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि घटना 2018 की है, जबकि पुलिस ने चार्जशीट नवंबर 2024 में पेश की। इस 6 साल की लंबी देरी का पुलिस विभाग के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि केस डायरी और चार्जशीट देखने से साफ है कि पूरा मामला सिर्फ पुलिसकर्मियों और उनके जुड़े हुए गवाहों के बयानों पर टिका है, मौके पर कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। बयानों में काफी विरोध है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अपराध का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। ऐसे में मामले को आगे बढ़ाना कानून का गलत इस्तेमाल माना जाएगा।

22 करोड़ का ओवरब्रिज बारिश में दो हिस्सों में बंटा

राजनांदगांव में 15 दिन पहले हुआ था लोकार्पण,कोरबा में भी 3 करोड़ की पुलिया ध्वस्त

राजनांदगांव,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बरगा रेलवे ओवरब्रिज बारिश के बाद बीच से फट गया और 2 हिस्सों में बंट गया। पुल पर करीब 60-70 फीट लंबी और 10-12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें आ गई। 15 दिन पहले ही इस ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ था। वहीं, आलीवारा ओवरब्रिज की हालत भी बिगड़ गई है, जहां सड़क का हिस्सा बह गया, किनारे की बाउंड्री टूट गई और कई जगह बेस धंस गया। सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बरगा और आलीवारा में 20 से 22 करोड़ की लागत से दोनों रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था। लोकार्पण पिछले महीने जून में हुआ था। इसी तरह, कोरबा जिले के करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत भैसामुड़ा स्थित जोगीनाला पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पुलिया भी पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई। तेज बहाव में पुलिया का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और आवागमन बाधित हो गया। राजनांदगांव में रविवार को दो नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत से बने इन पुलों को पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और जगह-जगह से दरारें आ गई। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच बरगा स्थित रेलवे ओवरब्रिज का है, जहां की सड़क रविवार सुबह हुई बारिश के बाद बीच से फटकर दो भागों में बंट गई। पुल पर करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। यह दरारें पुल की नींव की कमजोरी की ओर इशारा कर रही हैं। दूसरा मामला आलीवारा ओवरब्रिज का है। वहां की स्थिति भी खराब हो गई है। इसकी सड़क बह गई है, किनारे के हिस्से बाउंड्री से अलग हो गए हैं और तीन-चार जगहों पर पुल का बेस धंस गया है। इन धंसे हुए हिस्सों को छिपाने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बरगा ओवरब्रिज पर दरारें बढ़ने के बाद ग्रामीणों में हादसे की आशंका को लेकर गुस्सा फैल गया। उन्होंने बारिश के बीच पुल पर इकट्ठा होकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

इंदिरा आवास योजना घोटाला...426 खातों में आधार बदलकर 79 लाख का गबन,परियोजना अधिकारी के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश

रायपुर,06 जुलाई 2026। इंदिरा आवास योजना घोटाला मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने कोरबा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गौरव शुक्ला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार और मोबाइल नंबर बदलकर सरकारी रकम निकाल ली गई। जांच में सामने आया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी ने हितग्राहियों के बैंक खातों से 79 लाख रुपए निकाल ली गई। बैंक के सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर 426 हितग्राहियों के खातों से रकम निकाली। आरोपी गौरव शुक्ला ने इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के हितग्राहियों के बैंक खातों, जिनमें अधिकांश खाते डिएक्टिव थे,को बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग कर दोबारा सक्रिय कराया। इसके बाद हितग्राहियों के आधार नंबर हटाकर उनकी जगह अपने, अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र के आधार नंबर लिंक (सीड) कर दिए।

सीबीएसई छात्रों को देगा फ्री कोचिंग

AI, Python और साइबर सिक्योरिटी समेत 19 ऑनलाइन कोर्स, घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई

रायपुर,06 जुलाई 2026। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , पायथन, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और वेब डिजाइनिंग जैसे 19 आधुनिक टेक्नोलॉजी कोर्स मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। इन ऑनलाइन कोर्स के लिए छात्र बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल स्किल्स से लैस करना और भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना है। आमतौर पर एआई, पायथन या साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स सीखने के लिए निजी संस्थानों में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब सीबीएसईसे संबद्ध स्कूलों के छात्र घर बैठे इन विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस पहल की जानकारी छात्रों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं। इन कोर्स को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया गया है। सभी पाठ्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड का मानना है कि स्कूल स्तर पर ही नई तकनीकों की जानकारी मिलने से छात्रों को कॉलेज और रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।

हाईकोर्ट की रोक के बीच अटकी पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति

हाईकोर्ट बोला...प्रक्रिया चलेगी,अंतिम आदेश नहीं,दूसरे जिलों के आरक्षकों को प्रमोशन देने को चुनौती

बिलासपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि, पुलिस विभाग प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश आरक्षकों की वरिष्ठता सूची में नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। याचिका सुरेंद्र कुमार देशमुख की ओर से दायर की गई है, जिसमें राज्य शासन समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में पुलिस मुख्यालय और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि आरक्षकों की वरिष्ठता तय करने के स्थापित नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई है। विवाद उन आरक्षकों की वरिष्ठता को लेकर है,जो अपने खुद के अनुरोध पर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होकर गए हैं। नियमों के मुताबिक,यदि कोई आरक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरण लेता है, तो उसे नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए। यानी उस जिले में पहले से पदस्थ आरक्षकों के ऊपर उसे वरीयता नहीं मिल सकती। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस विभाग इस नियम को दरकिनार कर ऐसे आरक्षकों को भी प्रमोशन के लिए पात्र मान रहा है, जो स्वेच्छा से ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में आए हैं। आरोप है कि उनकी वरिष्ठता नए जिले में जॉइनिंग की तारीख से तय करने के बजाय उनकी मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर गिनी जा रही है। इससे मूल जिले के आरक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और वरिष्ठता सूची का पूरा क्रम बदल रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और 'छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007' के तहत वरिष्ठता से जुड़े प्रावधानों और बाद में किए गए संशोधनों का अवलोकन किया। प्राथमिक तौर पर कोर्ट ने पाया कि विवादित मुद्दा वरिष्ठता निर्धारण और प्रमोशन प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है, इसलिए मामले की विस्तृत सुनवाई जरूरी है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)